प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011
फोन न.– +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,
E-mail: vyapam @mp.nic.in, website: www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in

मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के अंतर्गत शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, सिलाई अनुदेशक, बुनाई अनुदेशक, पुरूष नर्स, बढईगिरी अनुदेशक, फोरमेन प्रेस, शिक्षक/सहायक शिक्षक, फार्मासिस्ट ग्रेड–2 (कम्पाउण्डर), अन्वेषक, पर्यवेक्षक, प्रहरी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अन्तर्गत वन रक्षको एवं राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल के अंतर्गत क्षेत्ररक्षक के सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती–बैकलॉग के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा–2017

ijh{kk lpkyu ,oa Hkrh fu;e ifLrdk

vkuykbu vkonu&i=				
भरने की प्रारम्भ तिथि	: 23/05/2017	भरने की अंतिम तिथि	: 10/06/2017	
आवेदन मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	: 23/05/2017	में संशोधन करने की अंतिम तिथि	: 11/06/2017	
परीक्षा दिनांक व दिन				
ijh{kk 'kYd				
सीधी भर्ती/सीधी भर्ती बैकलांक के पदो हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये		:- 500@&	
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)		:- 250@&	
सीधी भर्ती – बैकलॉग			कोई शुल्क नहीं	
बैगा, सहारिया एवं भारिया विशेष अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये				
कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क रू. 70/– देय होगा। कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र न भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु पोर्टल शुल्क रू. 40/– देय होगा।				

vkuykbu ijh{kk i)fr le; lkj.kh

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
15/07/2017 to 14/08/2017	प्रथम	प्रातः 07:30 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 1:30 बजे	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 03:00 से 05:00 तक (2:00 घंटे)

fVIi.kh %&

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय के 30 मिनिट पश्चात तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

2. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं इलेक्ट्रनिक डिवाईस आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

3- vkuykbu vkonu&i= Øekad dks }kjk gh fyf[kr ijh{kk gsrq vH;FkhZ viuk izos'k&i= izkIr dj ldrs gSA vr% vkonu&i= Øekad vko';d :i ls lHkky dj j[ksa] ftldh leLr@ftEesnkjh vkosnd dh gh gksxhA

4- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बॉलप्वाइंट पेन (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु) तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है

5. पी.ई.बी. द्वारा आयाजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी ernkrk igpku i=] isudkMZ] vk/kkj dkMZ] Mªk;fox ykbZlsal] vadlwph e; QksVksxzkQ] rFkk ikliksVZ esa ls dksbZ ,d dk p;fur dj ldrk gSA bZ vk/kkj ekU; ugha gSA

6- मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

7. मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अकार्यपालिक पदों के लिये अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये हॉर्डकॉपी में निर्धारित (नियम पुस्तिका के प्रारूप–6 में) आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि तक पी.ई.बी को न भेजते हुये सीधे संबंधित विभाग को में पृथक – पृथक पदों हेतु पृथक – पृथक आवेदन प्रेषित करना होगा । **पी.ई.बी. को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य** माना जायेगा।

ikQ'kuy ,Xtkfeu'ku cksM] Hkkiky] e0i0

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011
फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498
ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के अंतर्गत शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, सिलाई अनुदेशक, बुनाई अनुदेशक, पुरूष नर्स, बढईगिरी अनुदेशक, फोरमेन प्रेस, शिक्षक/सहायक शिक्षक, फार्मासिस्ट ग्रेड–2 (कम्पाउण्डर), अन्वेषक, पर्यवेक्षक, प्रहरी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अन्तर्गत वन रक्षको एवं राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल के अंतर्गत क्षेत्ररक्षक के सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती–बैकलॉग के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त चयन i jh{kk&2017

fo"k; lph

Ø-	v/;k;	fooj.k	i"B Ø-
1.	01¼v½	मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के अंतर्गत प्रहरी, शिक्षक/सहायक शिक्षक, पुरूष नर्स, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, सिलाई अनुदेशक, बढईगिरी अनुदेशक, बुनाई अनुदेशक, फोरमेन प्रेस, फार्मासिस्ट ग्रेड–2 (कम्पाउण्डर), अन्वेषक, पर्यवेक्षक, के सीधी भर्ती एवं राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल के अंतर्गत क्षेत्ररक्षक सीधी भर्ती–बैकलॉग के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा–2017 हेतु विभागीय नियम	3&17
1.	01¼c½	प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अन्तर्गत वन रक्षको की भर्ती परीक्षा–2017 हेतु विभागीय नियम	18&31
1.	01¼l½	मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल के अंतर्गत क्षेत्ररक्षक चयन परीक्षा – 2017	32&42
2.	2	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	43&56
3	3	परीक्षा का पाठ्यक्रम	57
4.	ik:i&1	प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन पत्रक	58
5.	ik:i&2	आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन पत्रक	59
6	ik:i&3	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	60
7	ik:i&4	होमगार्ड स्वयं सेवी नगर सैनिक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप	61
8	ik:i&5	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	62
9	ik:i&6	भुगतान प्राप्त करने के लिये स्वयं के बैंक खाते का विवरण का प्रारूप	63

v/;k; & 1

e/;izns'k 'kklu] tsy foHkkx ds vraxZr 'kkjhfjd izf'k{k.k vuqns'kd] flykbZ vuqns'kd] cqukbZ vuqns'kd] iq:"k ulZ] c<bZfxjh vuqns'kd] QksjeSu izsl] f'k{kd@lgk;d f'k{kd] QkekZfLkLV xzsM&2 ¼dEikm.Mj½] vUos"kd] Ik;Zos{kd] izgjh ds lh/kh HkrhZ ,oa lh/kh HkrhZ&cSdykWx ds fjDr inksa ij HkrhZ gsrq la;qDr p;u ijh{kk&2017

foHkkxh; fu;e

1-1 lkekU; %&

जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रं./15959/सामान्य स्थापना/2016, दिनांक 24.10.2016, के मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के अंतर्गत शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, सिलाई अनुदेशक, बुनाई अनुदेशक, पुरूष नर्स, बढईगिरी अनुदेशक, फोरमेन प्रेस, शिक्षक/सहायक शिक्षक, प्रहरी, फार्मासिस्ट ग्रेड–2 (कम्पाउण्डर), अन्वेषक, पर्यवेक्षक, के सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती–बैकलॉग के fjDr dqy 962 inksa पर सीधी भर्ती, सीधी भर्ती–बैकलॉग हेतु संयुक्त चयन परीक्षा–2017 के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों पर यह नियम लागू होंगे। पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

1-2 ifjHkk"kk;sa %&

(अ) इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य चार श्रेणियों अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।

(ब) ''विभाग'' से अभिप्रेत है – मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग।

(स) ''प्रथम चरण'' से अभिप्रेत है – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा।

(द) ''द्वितीय चरण'' से अभिप्रेत है – जेल विभाग द्वारा आयोजित शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता टेस्ट अथवा साक्षात्कार ।

(ई) ''मण्डल'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल से है।

(फ) ''म.प्र.'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश है।

1-3 inuke] osrueku rFkk 'kS{kf.kd ;kX;rk %&

lh/kh HkrhZ ds inksa dk oxZokj fooj.k

in dksM ¼001½ inuke & QkekZfLkLV xzsM&2 ¼dEikm.Mj½ वेतनमान 5200–20200+1900 ग्रेड पे vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh ds dqy 04 in½ %&

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	–	–	02	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	–	–	–	–	–	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	–	–	–	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	–	–	–	01	
	;ksx	03	01	–	–	04	

U;wure 'kS{kf.kd vgZrk %&

1– जीवविज्ञान, रसायन एवं भौतिकी (बायोलाजी, केमिस्ट्री एवं फिजिक्स में) हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण/10+2 शिक्षा पद्धति मं 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

2– भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का डिप्लोमा तथा,

3– फार्मेसी कौंसिल से भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का पंजीयन।

in dkM ¼002½ inuke & vUo"kd वेतनमान 5200–20200+2800 ग्रेड पे

vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh d dy 01 in½ %&

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		निशक्तजनों की dy 01 fjfDr;k e l 01 in Jo.kckf/kr निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	–	–	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	–	–	–	–	–	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	–	–	–	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	–	–	–	00	
	;kx	01	00	–	–	01	

U;wure 'kS{kf.kd vgZrk %&

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित अथवा समाज शास्त्र विषयों में से एक विषय लेकर स्नातक उपाधि, द्वितीय श्रेणी या ज्यादा में उपाधि धारण करने वाले अभ्यार्थियों को अधिमान दिया जाए।

in dkM ¼003½ inuke & i;Zo{kd वेतनमान 5200–20200+1900 ग्रेड पे

vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh d dy 01 in½ %&

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		निरंक
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	–	–	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	–	–	–	–	–	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	–	–	–	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	–	–	–	00	
	;kx	01	00	–	–	01	

U;wure 'kS{kf.kd vgZrk %&

10+2 के अन्तर्गत कम से कम हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हॉयर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।

in dkM ¼004½ inuke & cqukbZ funs'kd (वेतनमान 5200–20200+1900 ग्रेड पे)

vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh d dy 01 in½ %&

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		निरंक
1.	अनारक्षित (UR)	01	–	–	–	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	–	–	–	–	–	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	–	–	–	–	–	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	–	–	–	–	–	
	;kx	**01**	–	–	–	**01**	

U;wure 'kS{kf.kd vgZrk %&

1. 10+2 प्रणाली के अंतर्गत कम से कम हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हॉयर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए
2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम से कम एक वर्ष का बुनाई में डिप्लोमा होना चाहिए
3. उम्मीदवार को बुनाई कार्य का कम से कम 03 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए
4. उम्मीदवार को बंदियो को प्रशिक्षित करने तथा लेखा संधारित करने की क्षमता होनी चाहिए

in dkM ¼005½ inuke & i|:"k ul! (वेतनमान 5200–20200+2800 ग्रेड पे)

vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh d| d|y 01 in½ %&

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	–	–	–	02	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	–	–	–	–	–	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	–	–	–	–	–	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	–	–	–	–	–	
	;kx	**02**	–	–	–	**02**	

U;|ure 'k{kf.kd vg|rk %&

(1) 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हॉयर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए

(2) पूर्णतः प्रशिक्षित नर्स, पुरूषो, महिलाओं और बालकों में तीन वर्ष का सामान्य नर्सिग प्रशिक्षण नर्स पंजीयन परिषद (भाग–अ) में रजिस्ट्रीकृत, जेल चिकित्सालय के अच्छे प्रबंध की योग्यता, ऐसे प्रशिक्षित कम्पाउण्डर या व्यक्ति को जिन्होने तीन मास का आपातकालीन नर्सिग पाठ्यक्रम किया हो, अधिमान दिया जाएगा

in dkM ¼006½ inuke & c<bZfxjh vuqns'kd (वेतनमान 5200–20200+1900 ग्रेड पे)

vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh d| d|y 01 in½ %&

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	–	–	–	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	–	–	–	–	–	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	–	–	–	–	–	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	–	–	–	–	–	
	;kx	**01**	–	–	–	**01**	

U;|ure 'k{kf.kd vg|rk %&

1. 10+2 प्रणाली के अंतर्गत कम से कम हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हॉयर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए
2. किसी संस्था से बढईगिरी का प्रमाण पत्र होना चाहिए
3. बढईगिरी कार्य का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए
4. बंदियो को बढईगिरी कार्य सिखाने तथा लेखा रखने की योग्यता एवं क्षमता होनी चाहिए

in dkM ¼007½ inuke & Qkjeu izsl (वेतनमान 5200–20200+2100 ग्रेड पे)

vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh ds dqy 01 in½ %&

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	–	–	–	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	–	–	–	–	–	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	–	–	–	–	–	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	–	–	–	–	–	
	;ksx	**01**	–	–	–	**01**	

U;wure शै{kf.kd vgZrk %&

(1) मुद्रण में आई.टी.आई. उत्तीर्ण होना चाहिए ।

rFkk

मुद्रयोजन (कम्पोजिंग) मुद्रण एवं प्रूफ रीडिंग में 3 वर्ष का अनुभव तथा लेखा संधारित करने की क्षमता होनी चाहिये ।

in dkM ¼008½ inuke & f'k{kd@lgk;d f'k{kd (वेतनमान 5200–20200+2400 ग्रेड पे)

vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh ds dqy 02 in½ %&

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	–	–	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	–	–	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	–	–	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	–	–	01	
	;ksx	**02**	**00**	–	–	02	

U;wure 'kS{kf.kd vgZrk %&

10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12 वी कक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हॉयर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण एवं बी.टी.सी. / डी.एड. / डी.एस.ई.

in dkM ¼009½ inuke & izgjh (वेतनमान 5200–20200+1900 ग्रेड पे) ¼dk;Zikfydk½

vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh HkrhZ dh dqy 940 in½ %&

स. क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिको के लिए		योग	विकलांक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित	216	136	48	–	71	–	471	fujad
2.	अनुसूचित जाति	69	43	15	–	22	–	149	
3.	अनुसूचित जनजाति	87	54	19	–	28	–	188	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	61	38	13	–	20	–	132	
	;ksx %&	433	271	95	&	141	&	940	

(I) U;wure 'kS{kf.kd vgZrk %&

आवेदक को 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(II) 'kkjhfjd ekin.M %&

मापदण्ड	ऊँचाई	सीना बिना फुलाये
पुरूष अभ्यर्थी के लिए	165 से.मी.	83 से.मी.
महिला अभ्यर्थी के लिए	158 से.मी.	–––
1. आवेदक की दोनों ऑखों की दृष्टि सामान्य होना चाहिए और उसे जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी को शारीरिक रुप से अपंग नहीं होना चाहिये। 3. अभ्यर्थी में 'नॉकनी/फ्लेट फुट' एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिये तथा चिकित्सक दृष्टि से योग्य (मेडिकली फिट) होना आवश्यक हैं।		

uksV%&1- U;wure 'kkjhfjd vgZrk,sa iw.kZ djus okys mEehnokj gh vkosnu djsaA U;wure 'kkjhfjd vgZrkvksa esa NwV dk dksbZ izko/kku ugha gSA vH;fFkZ;ksa dks lykg nh tkrh gS fd fu/kkZfjr ukirksy[k iw.kZ ugha djus ij mudh vH;fFkZrk fujLr dj nh tk;sxhA

2- izgjh in gsrq HkrhZ fu;e esa vH;FkhZ dks 'kkjhfjd :i ls viax ugha gksus ds dkj.k fu%'kDrtu gsrq vkj{k.k fu/kkZfjr ugha jgsxkA

fVIi.kh%&

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक पी–3–04/2013/1/3 दिनांक 06.03.2013 द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिकों को शासकीय सेवाओं में दिये गये आरक्षण अनुसार जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती के पदों में 15 प्रतिशत पद आरक्षित है। इस लाभ के लिये स्वयंसेवी नगर सैनिक की आवेदन करने की अंतिम तिथि को इस पद पर उनकी 03 वर्ष की सक्रिय सेवा पूर्ण होनी चाहिये। अनुशासनहीनता, दुराचरण, अस्वस्थता अथवा भगोडे होने के कारण पृथक किये गये नगर सैनिको को प्रहरी संवर्ग के अंतर्गत नियुक्ति की पात्रता नही होगी।

lh/kh Hkrhl cdykx d inks dk oxokj fooj.k

in dkM ¼010½ inuke & 'kkjhfjd if'k{k.k vuns'kd वेतनमान 9300–34800+3200 ग्रेड पे

vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh&cdykx d dy 03 in½ %&

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	–	–	–	–	–	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	–	–	–	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	–	–	–	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	–	–	–	01	
	;kx	03	–	–	–	03	

U;ure 'k{kf.kd vgrk %&

10+2 प्रणाली के अंतर्गत कम से कम हाईस्कूल परीक्षा अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।

rFkk

किसी मान्यता प्राप्त संस्था से शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक का प्रमाण–पत्र अथवा डिप्लोमा होना चाहिए अथवा शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा तथा शारीरिक शिक्षा में तीन वर्षो का अनुभव ।

in dkM ¼011½ inuke & flykbl vuns'kd (वेतनमान 5200–20200+1900 ग्रेड पे)

vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh&cdykx d dy 03 in½ %&

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	–	–	–	–	–	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	–	–	–	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	–	–	–	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	–	–	–	01	
	;kx	03	–	–	–	03	

U;ure 'k{kf.kd vgrk %&

10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए शासकीय संस्था या मान्यता प्राप्त सिलाई संस्था का प्रमाण पत्र या पत्रोपाधि (डिप्लोमा) होना चाहिए तथा उम्मीदवार के पास पर्याप्त सैद्वांतिक

rFkk

व्यावहारिक ज्ञान और शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए एवं बंदियों को शिक्षा देने और लेखे संधारित करने और बंदियों पर अंकुश रखने संबंधी योग्यता होनी चाहिए, बंदियों को सिलाई प्रशिक्षण देने की क्षमता होनी चाहिए।

in dkM ¼012½ inuke & cqukbZ funsZ'kd (वेतनमान 5200–20200+1900 ग्रेड पे)

vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh HkrhZ&cSdykWx dqy 01 in½ %&

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	–	–	–	01	निशक्तजनों की dqy 01 fjfDr;ksa esa ls 01 in Jo.kckf/kr निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	–	–	–	–	–	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	–	–	–	–	–	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	–	–	–	–	–	
	;ksx	**01**	–	–	–	**01**	

U;wure 'kS{kf.kd vgZrk %&

1. 10+2 प्रणाली के अंतर्गत कम से कम हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हॉयर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए
2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम से कम एक वर्ष का बुनाई में डिप्लोमा होना चाहिए
3. उम्मीदवार को बुनाई कार्य का कम से कम 03 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए
4. उम्मीदवार को बंदियो को प्रशिक्षित करने तथा लेखा संधारित करने की क्षमता होनी चाहिए

in dkM ¼013½ inuke & iq:"k ulZ (वेतनमान 5200–20200+2800 ग्रेड पे)

vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh HkrhZ&cSdykWx dqy 02 in½ %&

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	–	–	–	–	–	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	–	–	–	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	–	–	–	–	–	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	–	–	–	01	
	;ksx	**02**	–	–	–	**02**	

U;wure 'kS{kf.kd vgZrk %&

(1) 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हॉयर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए

(2) पूर्णतः प्रशिक्षित नर्स, पुरूषो, महिलाओं और बालकों में तीन वर्ष का सामान्य नर्सिग प्रशिक्षण नर्स पंजीयन परिषद (भाग–अ) में रजिस्ट्रीकृत, जेल चिकित्सालय के अच्छे प्रबंध की योग्यता, ऐसे प्रशिक्षित कम्पाउण्डर या व्यक्ति को जिन्होने तीन मास का आपातकालीन नर्सिग पाठ्यक्रम किया हो, अधिमान दिया जाएगा

inksa dk ,dtkbZ fooj.k

Ø-	in dk uke	lh/kh HkrhZ	lh/kh HkrhZ cSdykWx	lafonk HkrhZ	dqy
01	QkekZflLV xzsM&2 ¼dEikm.Mj½	04	00	00	04
02	vUos"kd	01	00	00	01
03	Ik;Zos{kd	01	00	00	01
04	cqukbZ vuqns'kd	01	01	00	02
05	iq:"k ulZ	02	02	00	04
06	c<bZfxjh vuqns'kd	01	00	00	01
07	QksjeSu izsl	01	00	00	01
08	f'k{kd@lgk;d f'k{kd	02	00	00	02
09	igjh	940	00	00	940
10-	'kkjhfjd izf'k{k.k vuqns'kd	00	03	00	03
11-	flykbZ vuqns'kd	00	03	00	03
;ksx%&		953	09	00	962

1-4 ukxfjdrk ,oa LFkkbZ fuoklh ds lacU/k esa %&

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को या तो :—

(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये, या

(ख) आवेदक को सिक्किम की प्रजा होना चाहिये, या

(ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या

(घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिये।

fVIi.kh %&

1. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किये जाने के अध्यधीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण—पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बल जाए, तथापि पात्रता के प्रमाण—पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे।
   (i) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं।
   (ii) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है।
   (iii) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में है।
2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण—पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

(II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/निल/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु

सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। **सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।**

1-5 e/;in'k d LFkkbl fuoklh vkondk d fy, igjh ,o 'kkjhfjd if'k{k.k vun'kd in gr vk; lhek %&

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं. सी—18—15/91/3/1, दि. 03.02.1992 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु सीमा 01 जनवरी 2018 को 18 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी—3—11/12/1/3, दि. 03.11.2012 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है :—

l-Ø-	vkond	J.kh	vf/kdre vk; lhek
1.	पुरूष	सामान्य/अनारक्षित	30 वर्ष
2.	पुरूष	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिवर्ग)	30+5=35 वर्ष
3.	महिला	सामान्य/अनारक्षित वर्ग	30+10=40 वर्ष
4.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिवर्ग)	30+5+10=45 वर्ष
5.	महिला	सामान्य वर्ग (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	30+10+5=45 वर्ष
6.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिव) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	30+10+5=45 वर्ष

1-5-1 e/;in'k d LFkkbl fuoklh vkondk d fy, f'k{kd@lgk;d f'k{kd] i:"k ul] flykbl vun'kd] c<bfxjh vun'kd] cukbl vun'kd] ,o Qkjeu i] QkekfflLV xM&2 ¼dEikm.Mj½] vUo"kd] Ik;o{kd] in gr vk; lhek %&

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं. सी—18—15/91/3/1, दि. 03.02.1992 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु सीमा 01 जनवरी 2018 को 18 वर्ष से कम एवं 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी—3—11/12/1/3, दि. 03.11.2012 में संशोधित आदेश क्र; सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है :-

1.

क्र.	भर्ती का तरीका	म.प्र. लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों (राजपत्रित/ अराजपत्रित/ कार्यपालिक) के लिए	लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/ चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए
		न्यूनतम/ अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)	
1	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदो के लिए	**21 से 28**	**18 से 25**

2. मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु-सीमा में अधिकतम छूट :-

1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	28 + 12 = 40	25 + 15 = 40
2	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	28 + 17 = 45	25 + 20 = 45
3	पुरुष/महिला आवेदक (शासकीय /निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	28 + 17 = 45	25 + 20 = 45
4	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग)	28 + 17 = 45	25 + 20 = 45
5	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-शासकीय /निगम/ मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	28 + 17 = 45	25 + 20 = 45
6	नि:शक्तजन आवेदकों के लिए	28 + 17 = 45	25 + 20 = 45
प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु-सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी।			

3. उपरोक्त **सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।**

1-5-2 e/;in'k d LFkkbl fuoklh vkondk ikR1kgu Lo:i nh tku okyh NV %&

(क) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–10–85–3–1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पॉच वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ख) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–18–85–3–1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

1-5-3 e/;in'k d LFkkbl fuoklh vkondk dh vk;q lhek d lc/k e vU; fooj.k %&

(क) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–सी–3/12/2010/1/3, दिनांक 04.06.2010 के अनुसार राज्य शासन के शासकीय सेवकों एवं मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को तथा नगर सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए (05 वर्ष की अतिरिक्त छूट देते हुए) 45 वर्ष रहेगी।

(ख) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

(ग) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :– शब्द ''छटनी'' किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था ।

¼M½ ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :—शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति—रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और

(क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों ।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345—4005—सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

टीप— (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग—पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

¼2½ ;fn dksbl vkosnd izksRlkgu Lo:i nh tkus okyh NwVksa esa ls fu/kkZfjr vf/kdre vk;q lhek esa NwV ds ykHk ds fy;s ,d ls vf/kd vk/kkj j[krk gS] rks mls vf/kdre ykHk okys fdlh ,d vk/kkj ds fy;s fu/kkZfjr vf/kdre vk;q lhek esa gh NwV dk ykHk izkIr gksxkA ;g NwV fu/kkZfjr vf/kdre vk;q&lhek ds vfrfjDr gksxhA lHkh izdkj dh NwV dks 'kkfey djrs gq, fdlh Hkh fLFkfr esa fdlh Hkh iooxZ ds fy, vf/kdre vk;q&lhek 45 o"kZ ls vf/kd ugha gksxhA

1-6 vkj{k.k ls lacaf/kr Li"Vhdj.k %&

(अ) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

(ब) मध्यप्रदेश के मूल निवासी विकलांग (अस्थिबाधित/दृष्टिबाधित/श्रवणबाधित) अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

(स) मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तत करना होगा।

(द) होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक को आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये, नगर सेना की 03 वर्ष की सेवा काल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(क) महिला होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिको के लिए होरीजेन्टल आरक्षण है। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिए आरक्षित पद कैरिफारवर्ड नही होगे। ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मिदवारों से भरे जावेगे।

1-7 vH;fFkZrk@p;u dk lc/k e fugrk,@tkudkjh %

1. पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो, कार्यवाही करने पर आवेदक परीक्षा में अयोग्य घोषित किये जायेंगे।

2. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतोन हो, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह माना जायेगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान हो तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अनर्ह नहीं माना जावेगा।

3. कोई भी उम्मीदवार जिसके विरूद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।
4. शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ्य आवेदक को अयोग्य माना जायेगा।
5. फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो अन्य कोई विवाद की स्थिति में सेवा से पृथक किया जावेगा एवं कोई अपील मान्य नहीं होगी।

1-8 ijh{kk dh ;kstuk %&

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्राप्त किए जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन–पत्रों की स्क्रुटनी संबंधी आवश्यक निर्देश अध्याय–2 में दिए गए हैं, जिसके अनुसार लिखित परीक्षा हेतु अंतरिम प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होंगे।

1-8-1 iFke pj.k & fyf[kr ijh{kk %&

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 200 प्रश्नों 200 अंकों (प्रत्येक प्रश्न 01 अंक) व तीन घंटे की अवधि का केवल 01 प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान के हाईस्कूल स्तर के प्रश्न सम्मिलित होंगे।

अथवा

tsy eq[;ky; Lrj ij Hkh ;g dk;Z lEikfnr fd;k tk ldrk gSA

1-8-2 igyh in gsrq fyf[kr ijh{kk dh efjV lwph %&

मंडल द्वारा लिखित परीक्षा के परीक्षा परिणाम की प्रवीणता के आधार पर 07 गुना अभ्यर्थियों के रोल नंबर क्रम में सूची, आरक्षण संबंधी समस्त नियमों को ध्यान में रखते हुए श्रेणीवार तैयार कर जेल मुख्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी। उम्मीदवारों को परीक्षा परिणाम की जानकारी मंडल द्वारा वेबसाईट पर व समाचार पत्रों में तथा जेल मुख्यालय द्वारा व्यक्तिगत सूचना–पत्र जारी कर द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अवगत कराया जायेगा। परन्तु अंतिम परीक्षा परिणाम जारी होने के पूर्व किसी भी स्थिति में द्वितीय चरण के लिए सफल अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में

प्राप्तांकों की जानकारी अभ्यर्थियों, जेल मुख्यालय अथवा चयन प्रक्रिया से सम्बद्ध किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जायेगी।

प्रथम चरण की परीक्षा में प्रवीणता के आधार पर 07 गुना अभ्यर्थियों की रोल नंबर के क्रम में द्वितीय चरण की परीक्षाओं शारीरिक नापजोख व प्रवीणता टेस्ट के लिये बुलाया जायेगा। श्रेणी अनुसार 07 गुनी संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा का अवसर दिया जावेगा, भले ही कुल संख्या 07 गुना से अधिक हो जावे। लिखित परीक्षा के पूर्व नाप जोख नहीं कराया जायेगा।

1-8-3 iqgjh in gsrq f}rh; pj.k & 'kkjhfjd eki ijh{k.k o 'kkjhfjd iohf.krk VsLV %&

प्रथम चरण में सफल घोषित उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये जेल विभाग द्वारा निश्चित स्थान, तिथि एवं समय की सूचना डाक अथवा अन्य माध्यम से दी जायेगी। द्वितीय चरण के अंतर्गत शारीरिक माप परीक्षण व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट की कार्यवाही जेल मुख्यालय स्तर पर महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में किसी भी विवाद की दशा में महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ का विनिश्चय मान्य होगा। निर्धारित शारीरिक अर्हता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः निरस्त हो जायेगी।

1-8-4 iqgjh in gsrq 'kkjhfjd iohf.krk VsLV %

समिति द्वारा शारीरिक नापजोख में उपयुक्त उम्मीदवारों का शारीरिक प्रवीणता टेस्ट निम्नानुसार लिया जायेगा :—

ijh{kk	iqgjh ¼iq:"k½	iqgjh ¼efgyk½	HkwrioZ lSfud ,oa gkexkMZ
800 मीटर दौड़	2 मिनट 50 सेकंड	4 मिनट 00 सेकंड	3 मिनट 15 सेकंड
गोलाफेक	20 फिट (गोले का वजन 7.260 किलोग्राम)	16 फिट (गोले का वजन 4.00 किलोग्राम)	15 फिट (गोले का वजन 7.260 किलोग्राम)

1. यदि दौड़ में क्वालीफाई नहीं करता है, तो उसे गोलाफेक में भाग लेने नहीं दिया जायेगा।
2. शारीरिक प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालीफाइंग स्वरूप की होगी । इसमें कोई पूर्णांक—प्राप्तांक नहीं होंगे। परीक्षा परिणाम से उम्मीदवार को तुरंत मौके पर ही अवगत करा दिया जाएगा।
3. शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता परीक्षा का विडियो रिकार्ड किया जाएगा। अपने नापजोख/प्रदर्शन/मूल्यांकन से असंतुष्ट रहने पर चयन समिति के समक्ष तत्काल अपील की जावेगी, जो उसका विडियो कवरेज देखकर निराकरण करेगी। किसी भी स्थिति में उम्मीदवार को दूसरी बार अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
4. शारीरिक प्रवीणता टेस्ट हेतु उम्मीदवार को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी एवं न ही उक्त के लिये किसी प्रकार का चिकित्सीय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जावेगा।

1-8-5 iqgjh in gsrq p;u lwph %&

जेल मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा द्वितीय चरण में शारीरिक नापजोख व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट की कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत इसमें सफल उम्मीदवारों की सूची व्यापम को उपलब्ध कराई जायेगी। शारीरिक नापजोख व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों की जेल मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूची के आधार पर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीण्य/प्रतीक्षा सूची म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी की जाएगी।

अथवा

tsy eq[;ky; Lrj ij Hkh ;g dk;Z lEikfnr fd;k tk ldrk gSA

1-8-6 'kkjhfjd iqf'k{k.k vunsq'kd] flykbZ vunsq'kd] cqukbZ vunsq'kd] iq:"k ulZ] c<bZfxjh vunsq'kd] QkjeSu iSl] f'k{kd@lgk;d f'k{kd] QkekZflLV xzsM&2 ¼dEikm.Mj½] vUosZ"kd] Ik;Zos{kd] ds in gsrq fyf[kr ijh{kk dh ekfjV lwph %&

मंडल द्वारा लिखित परीक्षा का परीक्षा परिणाम की मेरिट सूची अनुसार प्रत्येक पद हेतु 50 गुना अभ्यार्थियों के रोल नंबर क्रम में सूची, आरक्षण संबंधी समस्त नियमों को ध्यान में रखते हुए श्रेणीवार तैयार कर जेल मुख्यालय को साक्षात्कार हेतु उपलब्ध कराई जायेगी। श्रेणी अनुसार 50 गुना संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण में साक्षात्कार का अवसर दिया जायेगा, भले ही कुल संख्या 50 गुना से अधिक हो जावे। साक्षात्कार उपरान्त साक्षात्कार के 10 अंकों एवं सिर्फ मेलनर्स एवं अन्वेषक के पद हेतु अधिमान के 02 अंकों में से प्राप्त अंकों की जानकारी पदवार जेल मुख्यालय द्वारा मण्डल को उपलब्ध करवाई जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में साक्षात्कार/अधिमान के अंकों को जोड़कर प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची मण्डल द्वारा जारी की जाएगी। जेल विभाग द्वारा व्यक्तिगत सूचना–पत्र जारी कर द्वितीय चरण में साक्षात्कार के लिए अवगत कराया जायेगा परन्तु अंतिम परीक्षा परिणाम जारी होने के पूर्व किसी भी स्थिति में द्वितीय चरण के लिए सफल अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की जानकारी अभ्यर्थियों, जेल मुख्यालय, जेल विभाग अथवा चयन प्रक्रिया से सम्बद्ध किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जायेगी।

1-8-7 'kkjhfjd izf'k{k.k vuqns'kd] flykbZ vuqns'kd] cqukbZ vuqns'kd] iq:"k ulZ] c<bZfxjh vuqns'kd] Qkjeu izsl] f'k{kd@lgk;d f'k{kd] QkekZfLkLV xzsM&2 ¼dEikm.Mj½] vUos"kd] Ikk;ks{kd] ds in gsrq f}rh; pj.k & lk{kkRdkj %&

प्रथम चरण में मेरिट के आधार पर प्रत्येक पद हेतु 50 गुना सफल घोषित उम्मीदवारों को द्वितीय चरण में साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिये जेल विभाग द्वारा निश्चित स्थान, तिथि एवं समय की सूचना डाक अथवा अन्य माध्यम से दी जायेगी। प्रत्येक पद हेतु साक्षात्कार 10 अंकों का होगा। मेलनर्स के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने तीन माह का आपातकालीन नर्सिंग पाठ्यक्रम पूर्ण किया है उन्हें अधिमान के रूप में 02 अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेंगे तथा अन्वेषक पद हेतु ऐसे अभ्यार्थी जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित अथवा समाज शास्त्र विषयों में से एक विषय लेकर स्नातक उपाधि, द्वितीय श्रेणी या ज्यादा में उपाधि धारण करने वाले अभ्यार्थियों को अधिमान के रुप में 02 अतिरिक्त अंक प्रदान किये जाऐंगे। द्वितीय चरण के अंतर्गत साक्षात्कार की कार्यवाही जेल मुख्यालय स्तर पर महानिदेशक,जेल एवं सुधारात्मक सेवाऍ द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में किसी भी विवाद की दशा में महानिदेशक,जेल एवं सुधारात्मक सेवाऍ का विनिश्चय मान्य होगा।

1-9 'kkjhfjd izf'k{k.k vuqns'kd] flykbZ vuqns'kd] cqukbZ vuqns'kd] iq:"k ulZ] c<bZfxjh vuqns'kd] Qkjeu izsl] f'k{kd@lgk;d f'k{kd] QkekZfLkLV xzsM&2 ¼dEikm.Mj½] vUos"kd] Ikk;ks{kd] ds in gsrq gsrq p;u lwph %&

जेल मुख्यालय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा द्वितीय चरण में साक्षात्कार की कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत उम्मीदवारों को समिति द्वारा साक्षात्कार/अधिमान में दिये गये अंकों की सूची व्यापम को उपलब्ध कराई जायेगी। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात भर्ती के लिये द्वितीय चरण में अभ्यर्थियों की अन्तिम गुणागुण सूची (प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार/अधिमान में के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार कर मंडल द्वारा जेल मुख्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके आधार पर चयन समिति उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची प्रकाशित करेगी।

1-10 ikjLifjd ojh;rk %&

अंतिम प्रावीण्य सूची तैयार करते समय समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की आयु के आधार पर आपसी सहवरिष्ठता निर्धारित की जावेगी अर्थात् आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरियता दी जायेगी।

1-11 fu;qfDr %&

चयनित उम्मीदवारों के संबंध में चरित्र सत्यापन कराया जायेगा तथा केवल 'अनुकूल' चरित्र पाये जाने वाले, चयन सूची में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों के विषय में ही नियुक्ति पर विचार किया जायेगा। उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण भी कराया जायेगा। नियुक्ति के लिये पात्रता हेतु उम्मीदवार का 'मेडिकली फिट' होना भी अनिवार्य है।

उम्मीदवारों को चरित्र सत्यापन फार्म में पूरी एवं सही–सही जानकारी भरना चाहिये, कोई झूठी जानकारी, अधूरी जानकारी, अर्धसत्य जानकारी नहीं देना चाहिये। कोई जानकारी छिपाना भी नहीं चाहिये। विशेष कर चरित्र सत्यापन फार्म के कालम नम्बर 12 में सही सही जानकारी भरना आवश्यक है। अब मध्यप्रदेश शासन के चरित्र सत्यापन संबंधी नए दिशा

निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन के संबंध में इस आशय का शपथ पत्र देना आवश्यक है जिसमें आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उनके द्वारा उसके पूर्ववत के अन्तर्गत दिए गए विवरणों में उसने किसी तथ्य को जानबूझकर जानते हुये नहीं छिपाया है।

(1) नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण पर भेजा जावेगा।

(2) नियुक्ति के लिये चुने गये उम्मीदवारों को प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने के लिये प्रयोजनार्थ की जाने वाली यात्रा का किराया तथा भत्ता नहीं दिया जायेगा। प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने पर प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा जिसमें उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना आवश्यक होगा। केवल योग्य पाये उम्मीदवारों को ही नियुक्ति दी जावेगी, अयोग्य उम्मीदवारों को वापस भेज दिया जावेगा।

(3) जिस पद के लिये चयन किया जायेगा केवल उसी पद पर नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा और उसी संवर्ग में आगे पदोन्नति/पदस्थापना की जावेगी।

1-12 i f'k{k.k %&

प्रहरी के पद पर नियुक्ति उपरान्त निर्धारित अवधि में निर्धारित मानक स्तर से प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण सत्र प्रारम्भ होने की सूचना चयनित उम्मीदवारों को पृथकसे भेजी जावेगी। चयनित अभ्यर्थियों को विहित की गई अंतिम तारीख को या उसके पूर्व उपस्थित होना होगा। यदि अभ्यर्थी, नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना निश्चित समयावधि में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, तो उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा।

1-13 foHkkx }kjk ijh{k.k fd;s tkus okys nLrkostk dk fooj.k%&

जेल विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय निम्न दस्तावेज (डाक्यूमेन्ट) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा :–

(1) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट 10+2) की प्रमाणित अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हों।

(2) शैक्षणिक व अन्य योग्यता के प्रमाण पत्र (डिग्री या सर्टिफिकेट की फोटो प्रति)।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलयर) के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारुप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये। प्रमाण–पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस विज्ञापन के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं।

(4) होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये, नगर सेना की 03 वर्ष की सेवाकाल का प्रमाण पत्र।

(5) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 'सेना' की सेवा का प्रमाण पत्र।

(6) पुलिस कर्मियों के प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में होने का प्रमाण पत्र।

(7) नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र (केवल पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिये)।

ukV& दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटोप्रति तथा मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जायेगा। उपरोक्त उल्लेखित दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज विभाग के चाहने पर प्रस्तुत करना होगा।

1-14 ;k=k fdjk;k %&

जेल मुख्यालय द्वारा आरक्षित श्रेणी के योग्य उम्मीदवारों को शारीरिक नापजोख व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट अथवा साक्षात्कार के लिये उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

महानिदेशक
जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ
मध्यप्रदेश, भोपाल

v/;k; & 1 ¼c½

dk;ky; i/kku e|[; ou lj{kd] e/;in'k 'kklu] ou foHkkx]
l r i|Mk Hkou] Hkkiky d vrxr ouj{kd p;u ijh{kk & 2017

1-1 lkekU; %&

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक/क्षे.स्था. –2/2521, भोपाल, दिनांक 10.04.2014 अनुसार वन विभाग के अंतर्गत कुल रिक्त 1400 वनरक्षकों के पदों पर भर्ती ijh{kk & 2017 हेतु आवेदन पत्र कर रहे सभी आवेदकों पर यह निर्देश लागू होंगे। mYyf[kr fjDr inks dh l[;k e ftys d jkLVj vulkj deh ;k of) dh tk ldrh gA

1-2 ifjHkk"kk,| %&

(अ) bu funs'kks e J.kh l rkRi;l Jf.k;ks vukjf{kr] vU; fiNMk oxl] vulfpr tkfr ,o vulfpr tutkfr l gkxkA

(ब) ^^vkj{k.k** से अभिप्रेत है सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए पदों का आरक्षण।

vU; fiNM oxk से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ–85/पच्चीस/484 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ।

^vulfpr tkfr** से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

^vulfpr tutkfr** से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(स) ^^Hkrh dk o"k** l vfHkir g pky o"k dh igyh tuojh dk ikjEHk gku okyh ckjg ekl dh dkykof/k] ftlds Hkhrj lh/kh Hkrh dh ifØ;k ikjEHk dh tkrh gA

(द) ^^e.My** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।

(य) ^^foHkkx** से अभिप्रेत है e-i- 'kklu] ou foHkkxA

1-3 inuke] orueku rFkk 'k{kf.kd ;kX;rk %&

पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता
वनरक्षक कुल पद– 1400	5200–20200 +1900 ग्रेड पे	मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल से अथवा मान्यता प्राप्त समकक्ष संस्थान से पुरानी पद्धति से हायर सेकेण्डरी अथवा 10+2 पद्धति से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण।

1-3-1 vkj{k.k rkfydk %&

सक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक	योग
		ओपन	ओपन	ओपन	
1.	अनारक्षित (UR)	450	75	225	750
2.	अनुसूचित जाति (SC)	90	15	45	150
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	198	33	99	330
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	102	17	51	170
	;kx%&	840	140	420	1400

Vhi&

(1) जिलेवार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले वनरक्षकों पदों की जानकारी ifjf'k"V&1में देखें। जिलेवार दर्शित वनरक्षक के पदों की संख्या, जिसमें भर्ती प्रस्तावित है, vuqekfur gSA भर्ती के समय संबंधित जिले के रोस्टर अनुसार तत्समय उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध भर्ती की जा सकेगी।

(2) वनरक्षक फील्ड का पद होने के कारण विकलांगों को भर्ती में शामिल करने का प्रावधान नहीं j[kk x;k है। म.प्र. शासन सामाजिक न्याय विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–2–13–2011–26–1 दिनांक 21 सितम्बर 2011 द्वारा वनरक्षक के पदों पर fu%'kDrtuksa dh fu;qfDr ls NwV प्रदान की गई है।

(3) म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र.सी–3–8–2015–एक–3 दिनांक 17.11.15 द्वारा महिलाओं की भर्ती में छूट प्रदान की गई है, अतः महिलाओं हेतु पृथक से आरक्षित नहीं रखे गये है।

(4) म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र.एफ 9–1–2009/आ.प्र./एक दिनांक 13.07.2009 द्वारा भूतपूर्व सैनिक के लिए श्रेणी में 10 प्रतिशत पद आरक्षित करने के निर्देश है, तद्नुसार भूतपूर्व सैनिक हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है।

(5) e0iz0 'kklu lkekU; iz'kklu foHkkx ds i= Ø- lh&3@04@2013@1@3 fnukad 14-8-2014 }kjk gkWekxkMZ Lo;alsoh uxj lSfud gsrq 30 izfr'kr in vkjf{kr djus ds funsZ'k gSa] rnuqlkj gkWekxkMZ Lo;alsoh uxj lSfud gsrq 30 izfr'kr vkj{k.k dk izko/kku j[kk x;k gSA

1-3-2 vkj{k.k ls lacaf/kr Li"Vhdj.k %&

1. आरक्षित वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में vuqfoHkkxh; vf/kdkjh द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों के सत्यापन/परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

2. भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों के सत्यापन/परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा

3. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी राजपत्र क्रमांक 337 दिनांक 02. 08.2014 अनुसार आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंधः–यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की lgfj;k आदिम जनजाति अथवा जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनुपपूर की cSxk आदिमजनजाति अथवा जिला छिन्दवाडा के तामिया विकासखण्ड की Hkkfj;k जनजाति का है, संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या वनरक्षक (कार्यपालक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई U;wure vgZrk रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा" मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरूद्ध अपने आवेदन पत्र, आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु जिले के नोडल वनमण्डल अधिकारी को प्रेषित करेगें। ¼lsyXu izk:i 6 vuqlkj ½

परीक्षा की तिथि के पूर्व इस प्रकार प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त नियुक्ति संबंधी कार्यवाही वन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। अनुसूचित जनजाति संवर्ग के संशोधित पदों की संख्या बावत् एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया जायेगा, यदि पदों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है। इसके पश्चात् अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों तथा अन्य श्रेणियों के पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित कराया जाना प्रस्तावित होगा। इस प्रकार जारी विज्ञापन में अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या

परिवर्तनीय होगी जो विशेष आदिम जनजाति समुदायों के अतिरिक्त अन्य अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरूद्ध बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त शेष रिक्तियों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये मध्यप्रदेश शासन के आरक्षण नियमानुसार परीक्षा परिणाम जारी किया जायेगा ।

1-4 ukxfjdrk ,oa LFkkbZ fuoklh dk lcwr %&

¼I½ पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को या तो :–

(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये, या

(ख) आवेदक को सिक्किम की प्रजा होना चाहिये, या

(ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या

(घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिये।

टिप्पणी :–

1. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के अध्यधीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण–पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बन जाए, तथापि पात्रता के प्रमाण–पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे।

   (i) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं।

   (ii) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है।

   (iii) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में है।

2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण–पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

3. अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र तहसीलदार/नायब तहसीलदार स्तर से नीचे का न हो तथा जिसे प्रमाण–पत्र परीक्षण/सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

¼II½ ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

¼III½ अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन उनके जारी किये जाने वाली संस्था/विद्यालय से कराया जायेगा, जिस पर होने वाला व्यय अभ्यार्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

¼IV½ यदि किसी अभ्यार्थी का कोई भी प्रमाण पत्र कूटरचित पाया जाता है या कोई गलत जानकारी दी जाती है तो ऐसे अभ्यार्थी को बिना किसी पूर्व सूचना के सेवामुक्त किया जायेगा एवं अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जायेगा।

1-5 e/;izns'k ds LFkkbZ fuoklh vkosndksa ds fy, vk;q lhek %&

चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक पूर्व जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

vf/kdre vk;q lhek esa fuEu NwV मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही उपलब्ध होगी। इस चयन परीक्षा के लिये मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा कालम में दर्शाई गई आयु सीमा से अधिक नही होनी चाहियेः–

स0क्र0	आवेदक	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
01	पुरूष	अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी	30 वर्ष
02	पुरूष	आरक्षित श्रेणी (अनु0जाति/अनु0जजा/अपिवर्ग) का अभ्यर्थी	35 वर्ष
03	पुरूष	सभी श्रेणी के शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी/होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक अभ्यर्थी	38 वर्ष
04	पुरूष	अनारक्षित श्रेणी अर्न्तजातीय विवाह	35 वर्ष
05	पुरूष	अनारक्षित श्रेणी विक्रम पुरूस्कार विजेता	35 वर्ष
06	पुरूष	आरक्षित श्रेणी (अजा/अजजा/अपिव) विक्रम पुरूस्कार विजेता	40 वर्ष
07	पुरूष	अनारक्षित श्रेणी–भूतपूर्व सैनिक	33 वर्ष
08	पुरूष	आरक्षित श्रेणी–भूतपूर्व सैनिक (अजा/अजजा/अपिव)	38 वर्ष

नोटः–अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध उपरोक्त सभी प्रकार की छूटें मध्यप्रदेश की मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही उपलब्ध होंगी। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को उपरोक्त छूटें अथवा आरक्षण प्राप्त नहीं होगा तथा अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में ही शामिल होने की पात्रता होगी।

किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को तदाशय का निर्धारण प्रारूप के प्रमाण–पत्र सत्यापन के समय पेश करना होगा। जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा ।

म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के आदेश क्र. सी 3–8/2016/3–एक भोपाल दिनांक 12 मई, 2017 के कण्डिका में दिये गये आदेश अनुसार अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।

1-5-1 e/;izns'k ds LFkkbZ fuoklh vkosndksa dks izksRlkgu Lo:i nh tkus okyh NwV %&

(अ) आदिम जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत उच्च जाति के पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ब) ''विक्रम पुरस्कार'' प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

1-5-2 e/;izns'k ds LFkkbZ fuoklh vkosndksa ds fy, vk;q lhek ds lac/k esa vU; fooj.k %&

(1) उपरोक्त रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(2) ऐसे अभ्यार्थी को जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो,अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं के कारण हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया

जायेगा,परन्तु उसके परिणामस्वरुप प्राप्त आयु उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

Li"Vhdj.k % शब्द ''छटनी किया गया शासकीय सेवक'' ऐसे व्यक्ति का द्योतक है, जो इस राज्य की या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम 6 मास की कालावधि तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन–पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

(3) Hkriol lfud grq vk;q lhek–आयु सीमा के संबंध में विशेष उपबन्ध–राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में किसी रिक्त स्थान पर चाहे वह इन नियमों के अधीन आरक्षित हो या अनारक्षित हो, नियुक्ति के लिए प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को, जो संघ के सशस्त्रा बलों में लगातार कम से कम छः मास तक सेवा में रहा हो, उसकी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा की आयु उस पद या सेवा के लिये अनुज्ञात किया जाएगा यदि इसके परिणामस्वरूप आयु उस पद या सेवा के लिये, जिसके लिये वह नियुक्ति चाहता है, विहित अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष से अधिक न तो, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह आयु–सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है।

स्पष्टीकरण – ''भूतपूर्व सैनिकों'' से अभिप्रेत, ऐसा व्यक्ति जिसने संघ सशस्त्र बलों में भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्रा बल भी सम्मिलित है, किसी भी रैंक (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) में सेवा की हो और–

(एक) जिसे 1 जुलाई 1968 से पूर्व अवचार या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवान्मुक्त किया गया हो।

(दो) प्रमाणीकरण के पश्चात लगातार छह मास से अन्यून की कालावधि के लिए और अवचार या अदक्षता के कारण 1 जुलाई 1968 को या उसके पश्चात किन्तु 30 जून 1979 के पूर्व पदच्युत या सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(तीन) जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों क सशस्त्रा बल सम्मिलित है किन्तु असम राइफल्स, डिफेंस सिक्योरिटी, कार्पस, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, लोक सहायक सेना एवं टेरीटोरियल आर्मी को छोड़कर जिसने प्रमाणीकरण के पश्चात छह मास से अन्यून की कालावधि के लिये सेवाएं दी हो और जो 1 जुलाई 1979 को या उसके पश्चात किन्तु 1 जुलाई 1987 के पूर्व अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा निर्मुक्त किया गया हो और कोई व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्रा बल में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण की हो तथा जिसे भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपने स्वयं के अनुरोध पर निर्मुक्त किया या हो।

(एक) भारतीय संघ की नियमित सेना, नौ सेना, एवं वायु सेना में, कोई भूतपूर्व सैनिक, जिसनें पेंशन/विकलांगता पेंशन अर्जित की हो, जिसे स्थापना में कमी के फलस्वरूप 1 जुलाई 1987 को ऐसी सेवा अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा निर्मुक्त किया गया हो या कोई व्यक्ति जिसे वचनबंध एवं अर्जित उपदान की विशिष्ट कालावधि के पूर्ण हो जाने के पश्चात निर्मुक्त किया गया हो जिसमें प्रादेशिक सेवा के पेंशनधारक/विकलांगता पेंशनधारक/शौर्य अलंकरण विजेता सम्मिलित है।

परन्तु ''जो भूतपूर्व सैनिक कदाचार या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवोन्मुक्त किया गया हो वह भूतपूर्व सैनिक होने के लिये स्थायी रूप से निहर्हित होगा''

(4) स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सेवा (होम गार्ड) के नान कमीशंड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु 8 वर्ष तक की सीमा के अध्ययधीन रहते हुए शिथिल की जायेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

fVIi.kh¼1) ,sls vH;FkhZ] tks mi;qZDr [k.M¼[k½ ds mi[k.M ¼1½ ,oa ¼2½ esa of.kZr vk;q lEc/kh vk;q fj;k;rksa ds v/khu p;u gsrq ik= ik;s x;s gSa] ;fn os vkosnu&i= izLrqr djus ds Ik'pkr p;u ds iwoZ ;k mlds Ik'pkr lsok ls R;kx&i= nsrs gSa rks fu;qfDr ds ik= ugha gksaxs rFkkfi ;fn vkosnu&i= izLrqr djus ds Ik'pkr mudh lsok vFkok in ls NVuh dh tkrh gS rks os ik= cus jgsaxsA

(2) fdlh Hkh vU; ekeys esa ;s vk;q lhek,a f'kfFky ugha dh tk;sxh A foHkkxh; vH;fFkZ;ksa dks p;u ds fy;s mifLFkr gksus gsrq fu;fDRk vf/kdkjh dh iwoZ vuqKk vfHkizkIr djuh gksxhA

(3) 'kklu ds ekunaM; ij ;k lafonk ij dk;Z djus okys vU; Lo;a lsfo;ksa ;k dfeZ;ksa rFkk **f'k{kk deh** **iapk;r deh** vkfn dks vk;q esa NwV lqfo/kk izkIr ugha gksxhA

(4) tks vH;kFkhZ vk;q lhek esa NwV pkgrs gSa] l{ke vf/kdkjh }kjk tkjh fu/kkZfjr izek.k&i=] ijh{k.k@lR;kiu ds le; izLrqr djuk gksxkA

(5) ;fn dksbZ vkosnd fu/kkZfjr vf/kdre vk;q lhek esa NwV ds ykHk ds fy;s ,d ls vf/kd vk/kkj j[krk gS] rks mls vf/kdre ykHk okys fdlh ,d vk/kkj ds fy;s fu/kkZfjr vf/kdre vk;q lhek esa gh NwV dk ykHk izkIr gksxkA

1-6 vH;fFkZrk@p;u ds laca/k esa fujgZrk,a@tkudkjh %

1. परररूपधारण।

2. पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, ऐसे मामलों में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

3. जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या इसके पश्चात हुआ है। परन्तु निरर्हित नहीं होगा कि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतानों का जन्म होता है।

4. जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोष ठहराया गया हो तथा पुलिस वैरिफिकेशन में शासकीय सेवा के लिए अपात्र पाये जाने की स्थिति में।

1-7 p;u izfØ;k dk pj.k@vk/kkj %

(1) वनरक्षकों के पदों पर चयन हेतु मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिखित परीक्षा तथा मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा शारीरिक क्षमता परीक्षण लिया जायेगा। लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 33% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 23% अंक अर्जित करना अनिवार्य है।

(2) वन रक्षक के पद हेतु साक्षात्कार की प्रक्रिया नहीं अपनाई जावेगी । पी.ई.बी. द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों में म.प्र. तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम 2000 में वनरक्षको हेतु निर्धारित शारीरिक क्षमता परीक्षा में योग्य पाये जाने पर उन्हें वनरक्षक के पद पद नियुक्त किया जावेगा ।

(3) प्रत्येक जिले के लिए अधिसूचित प्रवर्गवार अनुमानित पदों की संख्या के आधार पर तीन गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार शारीरिक माप एवं पैदल चाल के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

(4) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो आगामी चयन हेतु उपयुक्त होंगे {अर्थात् जो नियम क्रमांक 1. 3.1 में उल्लेखित श्रेणीवार उपलब्ध तीन गुना पदों में, (नियम क्रमांक 1.7(3)) प्रावीण्यता के आधार

पर स्थान प्राप्त करते है। यदि उपलब्ध पदों की तीन गुना से भी अधिक छात्र किसी श्रेणी के अंतर्गत लिखित परीक्षा में पात्र होते है तो वह नियम1.7(3) के आधार पर द्वितीय चरण की परीक्षा हेतु अपात्र होंगे} का नाम पीईबी की वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा । doy p;fur mEehnokjks dk vkxkeh p;u gsrq vkef=r fd;k tk;xk tks ml ftys ds efjV lwph ds vuqlkj ftys ds 03 xquk vkofVr inks dh la[;k ds vuqxr vkrs gSA doy 33% ;k 23% vad izkIr dj ysus ls og ik= ugh gksxkA इसके अतिरिक्त संबंधित जिले के ukMy वन मण्डलाधिकारी के कार्यालय में भी नोटिस बोर्ड पर इनके नाम प्रदर्शित किये जायेंगे। समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

(5) ouj{kd dk in ftyk dMj dk gS vr% efjV lwph ftyokj ojh;rk Øe esa cukbZ tk;xhA प्रदेश के चार जिलो Nrjiqj] fM.Mkjh] 'kktkiqj ,oa eUnlkj में पद रिक्त नहीं है। अतः इन जिलों के अभ्यर्थी अन्य जिलों के रिक्त पदों के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। अभ्यर्थी जिन जिलों हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगें, उनके मेरिट में आने पर उन्हीं जिलों में रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति की कार्यवाहीं की जावेगी ।

(6) आवेदक को अपने आवेदन–पत्र में यह दर्शाना होगा कि वह किस जिले के लिये नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा है एवं आवेदक उसी जिले के रिक्त पदों के विरूद्ध प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने का पात्र होगा एवं चयनित उम्मीदवारों को उसी जिले में नियुक्ति दी जावेगी। ,d ls vf/kd ftys ds fy, vkosnu djus ij ,sls vkosnu vekU; dj fn;s tkosxsA

(7) vkosnd dk viuk vkosnu i= esa ;g Hkh n'kkZuk gksxk fd og fdl ftys ls fyf[kr ijh{kk nsuk pkgrk gSA vkosnd e/;izns'k ds fdlh Hkh ftys ls fyf[kr ijh{kk esa lfEefyr gksus dk fodYi ns ldrk gS yfdu ftl ftys esa vkosnd fu;qfDr pkgrk gS mlh ftys dh efjV lwph esa mlds uke ij fopkj fd;k tk;xk ,oa vH;kFkhZ dk 'kkjhfjd {kerk ijh{k.k Hkh mlh lacaf/kr ftys esa vk;ksftr fd;k tk;xk ftl ftys esa fu;qfDr pkgrk gSA

1-7-1 ikB~;Øe %

लिखित परीक्षा में माध्यमिक स्तर (10 वी स्तर) कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा । प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, जिसमें कुल 100 अंक होंगे। प्रश्न पत्र हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में रहेगा । परीक्षा की अवधि 2:00 घंटे की होगी।

1-7-2 'kkjhfjd {kerk ijh{k.k %

(1) शारीरिक क्षमता परीक्षण वन विभाग द्वारा लिया जायेगा, जिसमें वनरक्षक पद के लिये न्यूनतम शारीरिक प्रमाप (स्टेण्डर्ड) निम्नानुसार होगा :–

शारीरिक प्रमाप	ऊँचाई	सीना सामान्य	सीने का न्यूनतम फुलाव
पुरूष	163 से.मी.	79 से.मी.	05 से.मी.
महिला	150 से.मी.	अपेक्षित नहीं	अपेक्षित नहीं

टिप्पणी–(क) अनुसूचित जनजाति के लिये पुरूष अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 152 से.मी. तथा महिला अभ्यार्थी की 145 से.मी. होना चाहिये ।

(ख) मध्यप्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीने के फुलाव (Chest Relaxation) में 5 से.मी. का (बिना फुलाए 74 से.मी./फुलाने के पश्चात 79 से.मी.) शिथिलीकरण किया जाएगा।

(ग) अभ्यार्थियों के शारीरिक माप वन विभाग द्वारा गठित एक समिति के द्वारा किया जाएगा। यदि कोई अभ्यार्थी समिति के प्रमाप से संतुष्ट नहीं है तो उसी समय स्थल पर प्रमाप के समय दोबारा प्रमाप कराने के लिए लिखित में अनुरोध कर घोषणा पत्र दे सकता है कि दोबारा मापने के परिणाम को अंतिम माना जायेगा एवं वह उससे सहमत रहेंगे तथा बाद में

इस संबंध में कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं करेंगे। vH;kFkhZ d s fyf[kr ?kks"k.kk i= d s vk/kkj ij LFky ij mifLFkr ,d vihyh; lfefr ftl e s ,d fpfdRld Hkh lfEefyr gksxk] d s }kjk iu% ieki fd;k tk,xkA vihyh; lfefr dk fu.kZ; vfre ,o a vH;kFkhZ ij c/kudkjh gksxkA ou foHkkx }kjk fu/kkZfjr bl ifØ;k d s vk/kkj ij tk s ifjeki vfre :i l s ekU; fd;k tk,xk mld s i'pkr iu% ifjeki dh vuqefr ugha nh tk,xh] D;kfd e0i0 r`rh; J s.kh ¼vfyfid oxhZ;½ ou lsok Hkrh fu;e 2000 e s nksckjk 'kkjhfjd eki djus dk izko/kku ugha gSA

(2) <u>iSny pky</u>

iq:"k vH;kfFkZ;ksa को 4 घंटे में 25 कि.मी. एवं efgyk vH;kfFkZ;ksa को 4 घंटे में 14 कि.मी. की दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी। यह केवल अर्हता के लिए है इसके लिए कोई अंक नहीं दिये जाएंगे। प्रत्येक अभ्यार्थी से यह अपेक्षित होगा कि वह पैदल चाल प्रारम्भ होने के 60 मिनिट पूर्व स्थल पर उपस्थित होगा। पैदल चाल प्रारम्भ होने के पश्चात् अधिकतम 30 मिनिट बाद तक ही किसी अभ्यार्थी को पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी, परन्तु पैदल चाल के लिए पूर्व से निर्धारित समय तक पैदल चाल पूर्ण करना होगा। विलम्ब से पैदल चाल प्रारम्भ करने पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। iSny pky izkjEHk gksus d s 30 fefuV ckn mifLFkr gksus ij iSny pky e s Hkkx ysus dh vuqefr ugha nh tkosxhA

किसी भी अभ्यार्थी को दोबारा पैदल चाल में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी, क्योंकि म0प्र0 तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम 2000 में ऐसा प्रावधान नहीं है।

नोटः (i) शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं पैदल चाल में अभ्यर्थी का उपस्थित होना अनिवार्य है। इसके अभाव में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

(ii) प्रत्येक अभ्यार्थी को शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं पैदल चाल में भाग लेने के लिए उन्हें जारी admit Card लाना अनिवार्य होगा।

<u>टिप्पणी –</u> नियुक्ति से पूर्व शासन नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

1-7-3 ijh{kk 'kgj %

fyf[kr ijh{kk dk vk;kstu v/;k;&2 [k.M l d s vuqlkj gksxk A वनरक्षक के पदों पर fu;qfDr मध्यप्रदेश राज्य के Nrjiqj] fM.Mksjh] 'kktkiqj ,o a eUnlkj जिले को छोड़कर शेष समस्त 46 जिलों हेतु की जायेगी। (vkxj ftys dks 'kktkiqj ftys e s gh lfEefyr fd;k x;k g S)

1-7-4 esfjV lwph %

पी.ई.बी. द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में निर्धारित आवश्यक प्राप्तांक के अनुसार परिणाम की जिलेवार, श्रेणीवार/प्रवर्गवार सूची वन विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके आधार पर विभाग द्वारा शारीरिक अर्हता एवं पैदल चाल के परीक्षण की कार्यवाही की जायेगी। विभाग द्वारा शारीरिक परीक्षण एवं पैदल चाल में सफल अभ्यर्थियों की सूची पी.ई.बी. को उपलब्ध कराई जायेगी। इसके उपरांत विभाग के निर्देशानुसार पी.ई.बी. द्वारा लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के अनुसार प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी तथा प्रदर्शित की जावेगी।

1-7-5 ikjLifjd ojh;rk %

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर शारीरिक अर्हता एवं पैदल चाल में सफल अभ्यर्थी की वरीयता सूची तैयार की जायेगी। समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता

लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर जन्मतिथि के आधार पर आपसी सहवरिष्ठता निर्धारित की जावेगी, अर्थात् जिसकी जन्मतिथि पहले होगी उसे पहले रखा जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि अंतिम CUT- OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

1-7-6 nLrkost@iek.k&i=ksa dk lR;kiu %

लिखित परीक्षा उपरांत विभाग द्वारा लिए जाने वाले शारीरिक क्षमता परीक्षण के समय समस्त दस्तावेजों/ प्रमाण–पत्रों आदि का परीक्षण विभाग द्वारा किया जायेगा।

शारीरिक क्षमता परीक्षण ds le; vH;fFkZ;ksa dks fuEufyf[kr vfHkys[kksa dh ewy izfr;ka ,oa vfHkizekf.kr vfrfjDr izfr;k¡ izLrqr djuh gksxh] ftlds ijh{k.k fd;k tk;sxk %&

(i) आयु के प्रमाण हेतु (बोर्ड द्वारा जारी हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण–पत्र, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो)

(ii) शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र (शिक्षा मण्डल/विश्वविद्यालय से जारी हाईस्कूल/स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण–पत्र)

(iii) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. प्रमाण–पत्र (अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी)

(iv) जीवित बच्चों के जन्मतिथि प्रमाणित करने हेतु अभिलेख (जन्म प्रमाण–पत्र/शाला की अंकसूची/मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड)

(v) भूतपूर्व सैनिक होने पर संचालक, सैनिक कल्याण द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(vi) अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(vii) "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त होने पर मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(viii) मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल का कर्मचारी होने पर संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(ix) स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सेवा (होमगार्ड) के नॉन कमीशंड अधिकारी होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(x) स्थायी मूल निवासी प्रमाण–पत्र ¼rglhynkj@uk;c rglhynkj Lrj ls uhps dk u gks½।

1-7-7 लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण शारीरिक माप एवं पैदल चाल में सफल उम्मीदवारों को केवल इसी आधार पर नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। शैक्षणिक योग्यता/जन्म प्रमाण–पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण–पत्रों की विधिवत् जॉच/परीक्षण के उपरांत जिले में तत्समय उपलब्ध प्रवर्ग विशेष के पदों के विरूद्ध नियमानुसार संबंधित वन मण्डलाधिकारी द्वारा नियुक्ति दी जा सकेगी। प्रमाण–पत्र का सत्यापन जारी करने वाली संस्था से कराया जावेगा, उस पर होने वाला व्यय अभ्यार्थी द्वारा वहन किया जायेगा। दस्तावेज/प्रमाण पत्र कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जायेगी।

1-8 ;k=k O;; dk Hkqxrku %

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रं. एफ–4–4/2013/नियम/चार, दिनांक 13. 09.2013 अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा देने का उल्लेख है। तदानुसार अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने पर यात्रा भत्ते का भुगतान कोषालय के माध्यम से किया जायेगा

1-9 fu;qfDr dh 'krsZ %

सेवा में भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा। नियुक्त व्यक्ति को प्रदेश के प्रशिक्षण 'kkykvksa esa प्रशिक्षण gsrq Hkstk tk;sxkA

1-10 U;k; {ks=kf/kdkj %

fdlh Hkh fookn dh fLFkfr esa U;k; {ks= e/;izns'k jkT; dh lhek rd gksxkA

ifjf'k"V&1

ouj{kdk dh Hkrh gr fjDr ink dh ftyokj] J.khokj o loxokj {kfrt vkj{k.k rkfydk

क्र.	वृत का नाम	जिले का नाम	अनारक्षित			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछडा वर्ग			योग	पद कोड
			निल	भूतपूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक	निल	भूतपूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक	निल	भूतपूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक	निल	भूतपूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक		
			ओपन	ओपन	ओपन	ओपन	ओपन	ओपन	ओपन	ओपन	ओपन	ओपन	ओपन	ओपन		
1	बालाघाट	बालाघाट	29	5	14	0	0	0	6	1	3	12	2	6	**78**	**014**
2	बैतूल	बैतूल	18	3	9	5	2	3	12	2	6	3	0	1	**64**	**015**
3	भोपाल	भोपाल	18	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30**	**016**
4		सीहोर	6	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**	**017**
5		विदिशा	6	1	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	**14**	**018**
6		रायसेन	15	3	8	0	0	0	7	1	3	0	0	0	**37**	**019**
7		राजगढ़	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**	**020**
8	छतरपुर	टीकमगढ	9	1	5	3	0	2	0	0	0	2	1	2	**25**	**021**
9		पन्ना	29	5	14	6	2	4	6	1	3	6	1	3	**80**	**022**
10	छिंदवाडा	छिंदवाडा	18	3	9	12	2	6	12	2	6	18	3	9	**100**	**023**
11	ग्वालियर	ग्वालियर	6	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	2	**15**	**024**
12		मुरैना	9	2	4	3	0	2	0	0	0	2	0	1	**23**	**025**
13		श्योपुर	12	2	6	0	0	0	6	1	3	4	0	2	**36**	**026**
14		दतिया	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	**5**	**027**
15		भिण्ड	2	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	**7**	**028**
16	होशंगाबाद	होशंगाबाद	15	2	8	3	0	2	0	0	0	0	0	0	**30**	**029**
17		हरदा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	3	9	**25**	**030**
18	इंदौर	इंदौर	15	2	8	6	1	4	0	0	0	3	0	1	**40**	**031**
19		धार	5	1	2	0	0	0	6	1	3	0	0	0	**18**	**032**
20		झाबुआ	0	0	0	0	0	0	20	4	11	0	0	0	**35**	**033**
21		अलिराजपुर	0	0	0	0	0	0	14	3	8	0	0	0	**25**	**034**
22	जबलपुर	जबलपुर	2	0	1	2	0	0	3	0	2	0	0	0	**10**	**035**
23		कटनी	0	0	0	0	0	0	5	1	2	0	0	0	**8**	**036**

24		मण्डला	0	0	0	0	0	0	15	3	7	0	0	0	**25**	**037**
25	खण्डवा	खण्डवा	39	7	19	2	0	1	6	1	3	0	0	0	**78**	**038**
26		बुरहानपुर	6	1	3	0	0	0	6	1	3	0	0	0	**20**	**039**
27		खरगोन	12	2	6	0	0	0	2	0	1	0	0	0	**23**	**040**
28		बडवानी	6	1	3	0	0	0	2	0	1	0	0	0	**13**	**041**
29	रीवा	सिंगरौली	0	0	0	4	0	1	6	1	3	3	0	2	**20**	**042**
30		सतना	9	2	4	0	0	0	0	0	0	4	1	2	**22**	**043**
31		सीधी	6	1	3	0	0	0	0	0	0	3	0	1	**14**	**044**
32		रीवा	0	0	0	3	0	1	2	1	1	3	1	1	**13**	**045**
33	सागर	सागर	14	2	7	8	3	6	8	1	4	4	1	2	**60**	**046**
34		दमोह	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	**6**	**047**
35	सिवनी	सिवनी	0	0	0	3	0	1	11	2	5	0	0	0	**22**	**048**
36		नरसिंहपुर	0	0	0	4	1	2	0	0	0	2	0	0	**9**	**049**
37	शहडोल	शहडोल	15	2	8	0	0	0	4	0	1	6	1	3	**40**	**050**
38		उमरिया	9	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**	**051**
39		अनूपपुर	24	4	12	0	0	0	2	0	0	6	2	4	**54**	**052**
40	शिवपुरी	शिवपुरी	30	5	15	6	1	3	12	2	6	0	0	0	**80**	**053**
41		गुना	15	2	8	6	1	3	3	0	2	0	0	0	**40**	**054**
42		अशोकनगर	7	1	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**15**	**055**
43	उज्जैन	उज्जैन	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**	**056**
44		रतलाम	4	0	2	0	0	0	4	1	2	0	0	0	**13**	**057**
45		नीमच	5	1	3	0	0	0	3	0	2	2	0	0	**16**	**058**
46		देवास	27	5	13	5	1	2	12	2	6	0	0	0	**73**	**059**
		;kx	**450**	**75**	**225**	**90**	**15**	**45**	**198**	**33**	**99**	**102**	**17**	**51**	**1400**	

ukV% iR;sd ftys ds jkLVj vk/kkj ij fu;qfDr ds le; fjDr inks dh x.kuk dh tkdj fu;qfDr dh tkosxhA inks dh la[;k esa deh@o`f) gks ldrh gSA

vij i`/kku eq[; ou laj{kd ¼iz'kk-AA½
e0iz0 Hkksiky

ouj{kd ds in fjDr inksa gsrq e/;izns'k ds vkfne tutkfr lemnk; tSls&cSxk] lgkfj;k ,oa Hkkfj;k tutkfr ds vH;fFkZ;ksa ftysokj vkQ ykbZu vkosnu i= Hkjs tkus gsrq 'kgjokj irk ,oa njHkk"k Ø0 dk fooj.k

Ø-	'kgj	o`Ùk dk;kZy; ds vf/kdkjh dk uke ,oa irk	Qksu ucj	ftys ds ukMy oue.My vf/kdkjh dk uke ,oa irk] tgka vkosnu i= Hkjs tkus gSA	oue.My dk;kZy; dk Qksu ua-
1.	ckyk?kkV	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त बालाघाट, सिवनी रोड सिविल लाईन बालाघाट, पिन–481001,	07632 241201	वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण (सा) वनमंडल बालाघाट सिवनी रोड सिविल लाईन बालाघाट, पिन–481001,	07632–248414
2.	cSrwy	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त बैतूल,कालापाठा बैतूल, पिन–460001,	07141 234396	वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमंडल बैतूल कालापाठा बैतूल, पिन–460001,	07141–234204
3.	Hkksiky	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त भोपाल, लिंक रोड नं.–1 खेल परिसर, 74 बंगला, भोपाल, पिनकोड–462003,	0755 2674345 ,	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल राजगढ़, राजमहल प्रांगण स्टेट बैंक आफ इंडिया राजगढ के पास राजगढ (ब्यावरा), पिन–465661,	07372–255007
4.				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल भोपाल, लिंक रोड नं.–1 खेल परिसर, 74 बंगला, भोपाल, पिनकोड–462003,	0755–2674322, 2674359
5.				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल विदिशा, कलेक्ट्रेट के पास, बाररूम के सामने, विदिशा, पिनकोड–464001,	07592–232967
6.				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल रायसेन, जिला न्यायालय के सामने, सांची रोड, रायसेन, पिनकोड–464551,	07482–222027
7.				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल सीहोर, रेल्वे स्टेशन फाटक के पास, गल्ली मंडी रोड, सीहोर पिनकोड–466001,	07562–222767
8.	Nrjiqj	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त छतरपुर, पुराना बिजावर नाका सागर रोड छतरपुर, पिनकोड–471001	07682 242107	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल टीकमगढ़, मामौन दरवाजा, अम्बेडकर रोड टीकमगढ़, पिनकोड–472001	07683–245315
9.				वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमण्डल पन्ना, जगात चौकी, डायमण्ड चौराहा पन्ना, पिनकोड–488001	07732–252029
10.	fNanokMk	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त छिंदवाड़ा, खजरी चौक, चक्कर रोड़ छिंदवाड़ा, पिन कोड–480001,	07162 245470	वनमण्डलाधिकारी, पूर्व वनमण्डल छिंदवाड़ा, जिला एवं सत्र न्यायालय के पास सिविल कोर्ट रोड छिंदवाड़ा, पिन कोड–480001,	07162–243457
11.	Xokfy;j	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त ग्वालियर, सेन्ट्रल नर्सरी रूपसिंह स्टेडियमके पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर, पिन कोड–474002,	0751 2340050	वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर,सेन्ट्रल नर्सरी रूपसिंह स्टेडियम के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर, पिन कोड–474002,	0751–2341166
12.				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल मुरैना, ए. बी. रोड, जोरी काम्पलक्स, मुरैना, पिनकोड–476001,	07532–234742
13.				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल श्योपुर, रेल्वे स्टेशन के पास बिजलीघर रोड, श्योपुर पिनकोड–476337,	07530–220002
14.				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल दतिया, मनिहारपुरा होम गार्ड आफिस के पास, बीट दिनारा रोड, दतिया, पिनकोड–475661,	07522–237467
15.				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल भिण्ड,वाटर बॉक्स रोड, भिण्ड पिनकोड–477001,	07534–2339848
16.	gks'kaxkckn	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त	07574	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल होशंगाबाद, कलेक्ट्रेट के पास, होशंगाबाद,	07574–254178

Ø-	'kgj	o`r dk;ky; d vf/kdkjh dk uke ,o irk	Qksu ucj	ftyk dk ukMy oue.My vf/kdkjh dk uke ,o irk] tgk vkonu i= Hkt tku gA	oue.My dk;ky; dk Qksu u-
		होशंगाबाद, नर्मदा महाविद्यालय के सामने, होशंगाबाद, पिनकोड–461001,	252521	पिनकोड–477001,	
17.				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल हरदा पॉलीटेक्निक के पास, हरदा, पिनकोड–461001,	07577–222003
18.	bUnkj	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त इन्दौर, नवरतन बाग परिसर, इंदौर पिनकोड–452001,	0731 2491831	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल इंदौर नवरतन बाग परिसर, इंदौर पिनकोड–452001,	0731–2490239
19.				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल धार मांडव नाके के पास, धार पिनकोड–454001,	07292–222250
20.				वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल झाबुआ सरदार पटेल मार्क, झाबुआ पिनकोड–457661,	07392–243316
21.				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल अलीराजपुर काष्ठागार डिपो केम्पस (खण्डवा–बड़ोदा मार्ग) अलीराजपुर पिनकोड–457887,	07394–234530
22.	tcyij	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त जबलपुर, एल्गिन हास्पीटल के सामने, रेल्वे रोड, जबलपुर, पिनकोड–482001,	0761 2624341	वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल जबलपुर एल्गिन हास्पीटल के सामने, रेल्वे रोड, जबलपुर, पिनकोड–482001,	0761–2624195
23.				वनमण्डलाधिकारी,, पूर्व सामान्य वनमण्डल मण्डला देवदरा राड, मण्डला पिनकोड–481661,	07642–252423
24.				वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल कटनी महाराणा प्रताप वार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग, जबलपुर रोड झिंझरी, कटनी, पिनकोड–483051,	07622–227417
25.	[k.Mok	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त खण्डवा, सिविल लाईन, खण्डवा, पिनकोड–450001,	0733 2224120	वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल खण्डवा सिविल लाईन, खण्डवा, पिनकोड–450001,	0733–2223244
26.				वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल बुरहानपुर नेहरू स्टेडियम के सामने, रास्तीपुरा बुरहानपुर, पिनकोड–450331,	07325–251280
27.				वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल खरगोन नगर पालिका टाउन हॉल के सामने सनावद रोड, खरगोन पिनकोड–451001,	07282–233982
28.				वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल बडवानी कारंजा चौराहा, बडवानी, पिनकोड–451551,	07290–222038
29.	jhok	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त रीवा, जयंती कुंज झिरिया सेन्ट्रल स्कूल मार्ग रीवा, पिनकोड–486001,	07662 241689	वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल रीवा जयंती कुंज झिरिया सेन्ट्रल स्कूल मार्ग रीवा, पिनकोड–486001,	07662–251335
30.				वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल सतना मुख्त्यारगंज रेल्वे फाटक के पास, सिविल लाईन सतना, पिनकोड–485001,	07672–223355
31.				वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल सिंगरौली बस स्टेण्ड रोड, महाराज होटल के पास, मोरवा सिंगरौली, पिनकोड–486889,	07805–268606
32.				वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल सीधी सम्राट (पृथ्वीराज सिंह) चौराहा से कोतवाली रोड, सीधी पिनकोड–486661,	07822–252235
33.	lkxj	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त सागर, पोददार कालोनी के सामने, वन परिसर लिली रोड, सागर पिनकोड–470002,	07582 236262	वनमण्डलाधिकारी,, दक्षिण सामान्य वनमण्डल सागर पोददार कालोनी के सामने, वन परिसर लिली रोड, सागर पिनकोड–470002,	07582–236215
34.				वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल दमोह पुलिस ग्राउण्ड सिविल वार्ड–4, दमोह पिनकोड–470661,	07812–222541
35.	flouh	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त	07692	वनमण्डलाधिकारी,, दक्षिण सामान्य वनमण्डल सिवनी कलेक्टर कार्यालय के पास महारानी	07692–220530

Ø-	'kgj	o`r dk;kZy; ds vf/kdkjh dk uke ,oa irk	Qksu uEcj	ftys ds ukWMy oue.My vf/kdkjh dk uke ,oa irk] tgka vkosnu i= Hkstk tkuk gSA	oue.My dk;kZy; dk Qksu ua-
		सिवनी, जबलपुर रोड ज्यारत नाका के पास, सिवनी पिनकोड–480661,	220594	लक्ष्मीबाई मार्ग, सिवनी, पिनकोड–480661,	
36.				वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल नरसिंहपुर महात्मा गांधी चौराहा, सर्किट हाउस के पास, नरसिहपुर, पिनकोड–487001,	07792–230624
37.	'kgMksy	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त शहडोल, पुराना नगर पालिका चौक मैनरोड, शहडोल, पिनकोड–484001	07652 245361,	वनमण्डलाधिकारी,, दक्षिण सामान्य वनमण्डल शहडोल न्यू गांधी चौक बुढ़ार रोड, शहडोल पिनकोड–484001,	07652–240304
38.				वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल उमरिया सगरा मंदिर रोड, रेल्वे चौक उमरिया पिनकोड–484661,	07653–222217
39.				वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल अनूपपुर कोतवाली के सामने, अनूपपुर, पिनकोड–484224,	07659–222038
40.	f'koiqjh	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त शिवपुरी, वन विद्यालय, शिवपुरी पिनकोड–473551	07492 223392	वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी कोठी नं.–11, ग्वालिया बायपास ए.बी. रोड, शिवपुरी पिनकोड–473551,	07492–221012
41.				वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल गुना फारेस्ट कालोनी रेल्वे स्टेशन रोड, गुना पिनकोड–473001,	07542–259650
42.				वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल अशोकनगर बरखेडी गुना रोड, अशोकनगर पिनकोड–473335,	07543–221120
43.	mTtSu	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त उज्जैन, दमदमा उदयन मार्ग कोठी रिंग रोड, उज्जैन पिनकोड–456010	0734 2512101	वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल उज्जैन दमदमा उदयन मार्ग कोठी रिंग रोड, उज्जैन पिनकोड–456010	0734–2512104
44.				वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल मंदसौर महू–नीमच मार्ग, मंदसौर, पिनकोड–458001,	07422–255519
45.				वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल नीमच जिला चिकित्सालय के पास, महू रोड, नीमच, पिनकोड–458441,	07423–226605
46.				वनमण्डलाधिकारी,, सामान्य वनमण्डल देवास ताराणी कालोनी ए.बी. रोड, देवास, पिनकोड–455001,	07272–253020

v/;k;& 1¼l½
e/;in'k jkT; ou fodkl fuxe fyfeVM
ipkuu] ipe ry] ekyoh; uxj] Hkksiky
d vrxr {k=j{kd p;u ijh{kk & 2017

1-1 lkekU; %&

म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. का पत्र क्रमांक/वविनि/प्रशा./725 भोपाल, दिनांक 04.05.2017 अनुसार म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. के अंतर्गत कुल रिक्त 93 क्षेत्ररक्षकों के पदों पर भर्ती ijh{kk & 2017 हेतु आवेदन कर रहे सभी आवेदकों पर यह निर्देश लागू होंगे। mYyf[kr fjDr ink dh l[;k e deh ;k of) dh tk ldrh gA

1-2 ifjHkk"kk,¡ %&

(अ) bu funs'kks e J.kh ls rkRi;l Jf.k;ksa vukjf{kr] vU; fiNMk oxl] vuqlfpr tkfr ,oa vuqlfpr tutkfr ls gksxkA

(ब) ^^vkj{k.k** से अभिप्रेत है सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए पदों का आरक्षण।

vU; fiNM oxk से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ–85/पच्चीस/484 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ।

^vuqlfpr tkfr** से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

^vuqlfpr tutkfr** से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(स) ^^Hkrh dk o"k** ls vfHkizr g pky o"k dh igyh tuojh dks ikjEHk gksu okyh ckjg ekl dh dkykof/k] ftlds Hkhrj lh/kh Hkrh dh ifØ;k ikjEHk dh tkrh gA

(द) ^^e.My** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।

(य) ^^fuxe** से अभिप्रेत है e-i- jkT; ou fodkl fuxe fy-A

1-3 inuke] osrueku rFkk 'kS{kf.kd ;kX;rk %&

पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता
क्षेत्ररक्षक कुल पद– 93	5200–20200 +1900 ग्रेड पे	मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल से अथवा मान्यता प्राप्त समकक्ष संस्थान से पुरानी पद्धति से हायर सेकेण्डरी अथवा 10+2 पद्धति से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण।

1-3-1 vkj{k.k rkfydk %&

सक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक	योग
		ओपन	ओपन	ओपन	
1.	अनारक्षित (UR)	34	6	17	57
2.	अनुसूचित जाति (SC)	15	2	6	23
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	–	–	–	–
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	8	1	4	13
	;ksx%&	57	9	27	93

Vhi&

(1) जिलेवार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले क्षेत्ररक्षक पदों की जानकारी ifjf'k"V&1 में देखें। जिलेवार दर्शित क्षेत्ररक्षक के पदों की संख्या, जिसमें भर्ती प्रस्तावित है, vuqekfur gSA भर्ती के समय निगम के रोस्टर अनुसार उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध भर्ती की जा सकेगी।

(2) क्षेत्ररक्षक फील्ड का पद होने के कारण निःशक्तजनों को भर्ती में शामिल करने का प्रावधान नहीं j[kk x;k है। म.प्र. शासन सामाजिक न्याय विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–2–13–2011–26–1 दिनांक 21 सितम्बर 2011 द्वारा क्षेत्ररक्षक के पदों पर fu%'kDrtuksa dh fu;qfDr ls NwV प्रदान की गई है।

(3) म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र.सी–3–8–2015–एक–3 दिनांक 17.11.15 द्वारा महिलाओं की भर्ती में छूट प्रदान की गई है, अतः महिलाओं हेतु पृथक से पद आरक्षित नहीं रखे गये है।

(4) म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र.एफ 9–1–2009/आ.प्र./एक दिनांक 13.07.2009 द्वारा भूतपूर्व सैनिक के लिए श्रेणी में 10 प्रतिशत पद आरक्षित करने के निर्देश है, तद्नुसार भूतपूर्व सैनिक हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है।

(5) e0iz0 'kklu lkekU; iz'kklu foHkkx ds i= Ø- lh&3@04@2013@1@3 fnukad 14-8-2014 }kjk gkexkMZ Lo;alsoh uxj lSfud gsrq 30 izfr'kr in vkjf{kr djus ds funsZ'k gS] rnuqlkj gkexkMZ Lo;alsoh uxj lSfud gsrq 30 izfr'kr vkj{k.k dk izko/kku j[kk x;k gSA

1-3-2 vkj{k.k ls lacaf/kr Li"Vhdj.k %&

1. आरक्षित वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में vuqfoHkkxh; vf/kdkjh द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों के सत्यापन/परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

2. भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों के सत्यापन/परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

3. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी राजपत्र क्रमांक 337 दिनांक 02.08.2014 अनुसार आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंधः–यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की lgfj;k आदिम जनजाति अथवा जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनुपपूर की cSxk आदिम जनजाति अथवा जिला छिन्दवाडा के तामिया विकासखण्ड की Hkkfj;k जनजाति का है, संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या क्षेत्ररक्षक (कार्यपालक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई U;wure vgZrk रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा''

निगम द्वारा प्रस्तावित 93 क्षेत्ररक्षक पदों के भर्ती के अंतर्गत रोस्टर अनुसार अनुसूचित जनजाति के पद रिक्त नहीं होने के कारण मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया अपनाये बिना उक्त पद पर नियुक्त करने की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

1-4 ukxfjdrk ,oa LFkkbZ fuokl h ds lac/k esa %&

¼1½ पद पर नियुक्ति के लिए या तो :–

(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये, या

(ख) आवेदक को सिक्किम की प्रजा होना चाहिये, या

(ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या

(घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिये।

टिप्पणी :—

1. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किये जाने के अध्यधीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण—पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बन जाए, तथापि पात्रता के प्रमाण—पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे।

    (i) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं।

    (ii) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है।

    (iii) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में है।

2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण—पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

3. अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण—पत्र तहसीलदार/नायब तहसीलदार स्तर से नीचे का न हो तथा जिसे प्रमाण—पत्र परीक्षण/सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

¼II½ ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

¼III½ अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन उनके जारी किये जाने वाली संस्था/विद्यालय से कराया जायेगा, जिस पर होने वाला व्यय अभ्यर्थियों द्वारा वहन किया जायेगा।

¼IV½ यदि किसी अभ्यर्थियों का कोई भी प्रमाण पत्र कूटरचित पाया जाता है या कोई गलत जानकारी दी जाती है तो ऐसे अभ्यर्थियों को बिना किसी पूर्व सूचना के सेवामुक्त किया जायेगा एवं अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जायेगा।

1-5 e/;izns'k ds LFkkbZ fuoklh vkosndksa ds fy, vk;q lhek %&

चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक पूर्व जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

vf/kdre vk;| lhek e fuEu NVi मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही उपलब्ध होगी। इस चयन परीक्षा के लिये मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा कालम में दर्शाई गई आयु सीमा से अधिक नही होनी चाहियेः–

स0क्र0	आवेदक	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
01	पुरूष	अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी	30 वर्ष
02	पुरूष	आरक्षित श्रेणी (अनु0जाति/अनु0जजा/अपिवर्ग) का अभ्यर्थी	35 वर्ष
03	पुरूष	सभी श्रेणी के शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी/होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक अभ्यर्थी	38 वर्ष
04	पुरूष	अनारक्षित श्रेणी अर्न्तजातीय विवाह	35 वर्ष
05	पुरूष	अनारक्षित श्रेणी विक्रम पुरूस्कार विजेता	35 वर्ष
06	पुरूष	आरक्षित श्रेणी (अजा/अजजा/अपिव) विक्रम पुरूस्कार विजेता	40 वर्ष
07	पुरूष	अनारक्षित श्रेणी–भूतपूर्व सैनिक	33 वर्ष
08	पुरूष	आरक्षित श्रेणी–भूतपूर्व सैनिक (अजा/अजजा/अपिव)	38 वर्ष

नोटः–अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध उपरोक्त सभी प्रकार की छूटें मध्यप्रदेश की मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही उपलब्ध होंगी। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को उपरोक्त छूटें अथवा आरक्षण प्राप्त नहीं होगा तथा अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में ही शामिल होने की पात्रता होगी।

किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को तदाशय का निर्धारण प्रारूप के प्रमाण–पत्र सत्यापन के समय पेश करना होगा। जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा ।

म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के आदेश क्र. सी 3–8/2016/3–एक भोपाल दिनांक 12 मई, 2017 के कण्डिका में दिये गये आदेश अनुसार अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।

1-5-1 e/;in'k d LFkkbl fuoklh vkondk dk ikRlkgu Lo:i nh tku okyh NVi %&

(अ) आदिम जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत उच्च जाति के पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ब) ''विक्रम पुरस्कार'' प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

1-5-2 e/;in'k d LFkkbl fuoklh vkondk d fy, vk;| lhek d lc/k e vU; fooj.k %&

(1) उपरोक्त शिथिलता आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(2) ऐसे अभ्यर्थियों को जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं के कारण हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु उसके परिणामस्वरुप प्राप्त आयु उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

Li"Vhdj.k % शब्द ''छटनी किया गया शासकीय सेवक'' ऐसे व्यक्ति का द्योतक है, जो इस राज्य की या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम 6 मास की कालावधि तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन–पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

(3) HkwriwoZ lSfud gsrq vk;q lhek–आयु सीमा के संबंध में विशेष उपबन्ध–राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में किसी रिक्त स्थान पर चाहे वह इन नियमों के अधीन आरक्षित हो या अनारक्षित हो, नियुक्ति के लिए प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को, जो संघ के सशस्त्र बलों में लगातार कम से कम छः मास तक सेवा में रहा हो, उसकी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा की आयु उस पद या सेवा के लिये अनुज्ञात किया जाएगा यदि इसके परिणामस्वरूप आयु उस पद या सेवा के लिये, जिसके लिये वह नियुक्ति चाहता है, विहित अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष से अधिक न तो, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह आयु–सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है।

स्पष्टीकरण – ''भूतपूर्व सैनिकों'' से अभिप्रेत, ऐसा व्यक्ति जिसने संघ सशस्त्र बलों में भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है, किसी भी रैंक (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) में सेवा की हो और–

(एक) जिसे 1 जुलाई 1968 से पूर्व अवचार या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवान्मुक्त किया गया हो।

(दो) प्रमाणीकरण के पश्चात लगातार छह मास से अन्यून की कालावधि के लिए और अवचार या अदक्षता के कारण 1 जुलाई 1968 को या उसके पश्चात किन्तु 30 जून 1979 के पूर्व पदच्युत या सेवान्मुक्त किया गया हो।

(तीन) जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के सशस्त्र बल सम्मिलित है किन्तु असम राइफल्स, डिफेंस सिक्योरिटी, कार्पस, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, लोक सहायक सेना एवं टेरीटोरियल आर्मी को छोड़कर जिसने प्रमाणीकरण के पश्चात छह मास से अन्यून की कालावधि के लिये सेवाएं दी हो और जो 1 जुलाई 1979 को या उसके पश्चात किन्तु 1 जुलाई 1987 के पूर्व अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा निर्मुक्त किया गया हो और कोई व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्रा बल में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण की हो तथा जिसे भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपने स्वयं के अनुरोध पर निर्मुक्त किया या हो।

(एक) भारतीय संघ की नियमित सेना, नौ सेना, एवं वायु सेना में, कोई भूतपूर्व सैनिक, जिसनें पेंशन/विकलांगता पेंशन अर्जित की हो, जिसे स्थापना में कमी के फलस्वरूप 1 जुलाई 1987 को ऐसी सेवा अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा निर्मुक्त किया गया हो या कोई व्यक्ति जिसे वचनबंध एवं अर्जित उपदान की विशिष्ट कालावधि के पूर्ण हो जाने के पश्चात निर्मुक्त किया गया हो जिसमें प्रादेशिक सेवा के पेंशनधारक/विकलांगता पेंशनधारक/शौर्य अलंकरण विजेता सम्मिलित है।

परन्तु ''जो भूतपूर्व सैनिक कदाचार या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवोन्मुक्त किया गया हो वह भूतपूर्व सैनिक होने के लिये स्थायी रूप से निहर्हित होगा''

(4) स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सेवा (होम गार्ड) के नान कमीशंड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु 8 वर्ष तक की सीमा के अध्ययधीन रहते हुए शिथिल की जायेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

fVIi.kh¼1) ,sls vH;FkhZ tks mi;qZDr [k.M¼[k½ ds mi[k.M ¼1½ ,oa ¼2½ esa of.kZr vk;q lhek vk;q fj;k;rksa ds v/khu p;u gsrq ik= ik;s x;s gSa] ;fn os vkosnu&i= iLrqr djus ds Ik'pkr p;u ds iwoZ ;k mlds Ik'pkr lsok ls R;kx&i= nsrs gSa rks

fu;qfDr ds ik= ugha gksxs rFkkfi ;fn vkosnu&i= izLrqr djus ds Ik'pkr mudh lsok vFkok in ls NVuh dh tkrh gS rks os ik= cus jgsaxsA

(2) fdlh Hkh vU; ekeys esa ;s vk;q lhek,a f'kfFky ugha dh tk;saxh A foHkkxh; vH;fFkZ;ksa dks p;u ds fy;s mifLFkr gksus gsrq fu;qfDRk vf/kdkjh dh iwoZ vuqKk vfHkizkIr djuh gksxhA

(3) 'kklu ds ekunaM; ij ;k lafonk ij dk;Z djus okys vU; Lo;a lsfo;ksa ;k dfeZ;ksa rFkk **f'k{kk deh** **iapk;r deh** vkfn dks vk;q esa NwV lqfo/kk izkIr ugha gksxhA

(4) tks vH;fFkZ;ksa vk;q lhek esa NwV pkgrs gSa] l{ke vf/kdkjh }kjk tkjh fu/kkZfjr izek.k&i=] ijh{k.k@lR;kiu ds le; izLrqr djuk gksxkA

(5) ;fn dksbZ vkosnd fu/kkZfjr vf/kdre vk;q lhek esa NwV ds ykHk ds fy;s ,d ls vf/kd vk/kkj j[krk gS] rks mls vf/kdre ykHk okys fdlh ,d vk/kkj ds fy;s fu/kkZfjr vf/kdre vk;q lhek esa gh NwV dk ykHk izkIr gksxkA

1-6 vH;fFkZrk@p;u ds lac/k esa fugZrk,a@tkudkjh %

1. पररूपधारण।

2. पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, ऐसे मामलों में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

3. जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या इसके पश्चात हुआ है। परन्तु निरर्हित नहीं होगा कि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतानों का जन्म होता है।

4. जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोष ठहराया गया हो तथा पुलिस वैरिफिकेशन में शासकीय सेवा के लिए अपात्र पाये जाने की स्थिति में।

1-7 p;u izfØ;k ds pj.k@vk/kkj %

(1) क्षेत्ररक्षकों के पदों पर चयन हेतु प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, म.प्र. द्वारा लिखित परीक्षा तथा निगम द्वारा वन विभाग के साथ शारीरिक क्षमता परीक्षण लिया जायेगा। लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 33% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 23% अंक अर्जित करना अनिवार्य है।

(2) क्षेत्ररक्षक के पद हेतु साक्षात्कार की प्रक्रिया नहीं अपनाई जावेगी । पी.ई.बी. द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों में म.प्र. तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम 2000 में वनरक्षको हेतु निर्धारित शारीरिक क्षमता परीक्षा में योग्य पाये जाने पर उन्हें क्षेत्ररक्षक के पद पर नियुक्त किया जावेगा ।

(3) प्रत्येक जिले के लिए अधिसूचित प्रवर्गवार अनुमानित पदों की संख्या के आधार पर तीन गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार शारीरिक माप एवं पैदल चाल के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

(4) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो उपयुक्त होंगे {अर्थात् जो नियम क्रमांक 1.3.1 में उल्लेखित श्रेणीवार उपलब्ध तीन गुना पदों में, (नियम क्रमांक 1.7(3)) प्रावीण्यता के आधार पर स्थान प्राप्त करते है। यदि उपलब्ध पदों की तीन गुना से भी अधिक अभ्यर्थी किसी श्रेणी के अंतर्गत लिखित परीक्षा में पात्र होते है तो वह नियम1.7(3) के आधार पर द्वितीय चरण की परीक्षा हेतु अपात्र होंगे} का नाम पीईबी की वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा। dqy mUgha mEehnokjksa dks vkxkeh

p;u gsrq vkefU=r fd;k tk;sxk tks mls ftys ds efjV lwph ds vuqlkj ftys ds 03 xquk vkoafVr inksa dh l[;k ds vuqikr vkrs gSA dsoy 33% ;k 23% vad ikIr dj yus ls og ik= ugha gksxkA इसके अतिरिक्त संबंधित जिले के ukMy ou e.Mykf/kdkjh के कार्यालय में भी नोटिस बोर्ड पर इनके नाम प्रदर्शित किये जायेंगे। समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

(5) निगम में {ks=j{kd dk in jkT; Lrjh; dSMj dk gS ijUrq HkrhZ gsrq efjV lwph lacaf/kr ftyk Lrj ij ojh;rk Øe esa cukbZ tk;sxhA orZeku esa izns'k ds 8 ftyks fNanokMk] flouh] ckyk?kkV] e.Myk] tcyiqj] mefj;k] lh/kh ,oa [k.Mok esa gh fjDr inksa dh iwfrZ dh tkuk gS] परन्तु नियुक्त उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश स्थित निगम के अन्य मण्डलों में आवश्यकतानुसार स्थानांतरित किया जा सकता है। इस कारण मध्य प्रदेश के सभी जिलों के अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

(6) आवेदक को अपने आवेदन–पत्र में यह दर्शाना होगा कि वह किस जिले के लिये नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा है एवं आवेदक उसी जिले के रिक्त पदों के विरूद्ध प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने का पात्र होगा एवं चयनित उम्मीदवारों को उसी जिले में नियुक्ति दी जावेगी। ,d ls vf/kd ftys ds fy, vkosnu djus ij ,sls vkosnu ekU; dj fn;s tkosaxsA

(7) vkosnd dks viuk vkosnu i= esa ;g Hkh n'kkZuk gksxk fd og fdl ftys ls fyf[kr ijh{kk nsuk pkgrk gSA vkosnd e/;izns'k esa mijkDr of.kZr fdlh Hkh ftys ls fyf[kr ijh{kk esa lfEefyr gksus dk fodYi ns ldrk gS ysfdu ftl ftys esa vkosnd fu;qfDr pkgrk gS mlh ftys dh efjV lwph esa mldk uke ij fopkj fd;k tk;sxk ,oa vH;fFkZ;ksa dk 'kkjhfjd {kerk ijh{k.k Hkh mlh lacaf/kr ftys esa vk;ksftr fd;k tk;sxk ftl ftys esa fu;qfDr pkgrk gSA

1-7-1 ikB;Øe %

लिखित परीक्षा में माध्यमिक स्तर (10 वी स्तर) कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा । प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, जिसमें कुल 100 अंक होंगे। प्रश्न पत्र हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में रहेगा । परीक्षा की अवधि 2:00 घंटे की होगी।

1-7-2 'kkjhfjd {kerk ijh{k.k %

(1) शारीरिक क्षमता परीक्षण वन विभाग के साथ लिया जायेगा, जिसमें क्षेत्ररक्षक पद के लिये न्यूनतम शारीरिक प्रमाप (स्टेण्डर्ड) निम्नानुसार होगा :–

शारीरिक प्रमाप	ऊॅचाई	सीना सामान्य	सीने का न्यूनतम फुलाव
पुरूष	163 से.मी.	79 से.मी.	05 से.मी.
महिला	150 से.मी.	अपेक्षित नहीं	अपेक्षित नहीं

टिप्पणी–(क) अनुसूचित जनजाति के लिये पुरूष अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 152 से.मी. तथा महिला अभ्यर्थियों की 145 से.मी. होना चाहिये ।

(ख) मध्यप्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीने के फुलाव (Chest Relaxation) में 5 से.मी. का (बिना फुलाए 74 से.मी./फुलाने के पश्चात 79 से.मी.) शिथिलीकरण किया जाएगा।

(ग) अभ्यर्थियों के शारीरिक माप निगम द्वारा वन विभाग की गठित समिति के द्वारा किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थियों समिति के प्रमाप से संतुष्ट नहीं है तो उसी समय स्थल पर प्रमाप के समय दोबारा प्रमाप कराने के लिए लिखित में अनुरोध कर घोषणा पत्र दे सकता है कि दोबारा मापने के परिणाम को अंतिम माना जायेगा एवं वह उससे सहमत रहेंगे तथा बाद में इस संबंध में कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं करेंगे। vH;fFkZ;ksa ds fyf[kr ?kks"k.kk i= ds vk/kkj ij LFky ij mifLFkr ,d vU; lfefr lnL; ,d fpfdRld

Hkh lfEefyr gksxsa] ds }kjk iqu% ieki fd;k tk,xkA vihyh; lfefr dk fu.kZ; vfre ,oa vH;fFkZ;ksa ij c/kudkjh gksxkA fuxe }kjk fu/kkZfjr bl ifØ;k ds vk/kkj ij tks ifjeki vfre :i ls ekU; fd;k tk,xk mlds i'pkr iqu% ifjeki dh vuqefr ugha nh tk,xh] D;ksafd e0iz0 r`rh; Js.kh ¼vfyfid oxhZ;½ ou lsok HkrhZ fu;e 2000 tks fd fuxe }kjk vaxhd`r fd;s x;s gSa] esa nksckjk 'kkjhfjd eki djus dk izko/kku ugha gSA

(2) <u>iSny pky</u>

iq:"k vH;fFkZ;ksa को 4 घंटे में 25 कि.मी. एवं efgyk vH;fFkZ;ksa को 4 घंटे में 14 कि.मी. की दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी। यह केवल अर्हता के लिए है इसके लिए कोई अंक नहीं दिये जाएंगे। प्रत्येक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि वह पैदल चाल प्रारम्भ होने के 60 मिनिट पूर्व स्थल पर उपस्थित होगा। पैदल चाल प्रारम्भ होने के पश्चात् अधिकतम 30 मिनिट बाद तक ही किसी अभ्यर्थियों को पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी, परन्तु पैदल चाल के लिए पूर्व से निर्धारित समय तक पैदल चाल पूर्ण करना होगा। विलम्ब से पैदल चाल प्रारम्भ करने पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। iSny pky izkjEHk gksus ds 30 fefuV ckn mifLFkr gksus ij iSny pky esa Hkkx ysus dh vuqefr ugha nh tkosxhA

किसी भी अभ्यर्थियों को दोबारा पैदल चाल में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी, क्योंकि म0प्र0 तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम 2000 में ऐसा प्रावधान नहीं है।

नोटः (i) शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं पैदल चाल में अभ्यर्थी का उपस्थित होना अनिवार्य है। इसके अभाव में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

(ii) प्रत्येक अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं पैदल चाल में भाग लेने के लिए उन्हें जारी admit Card लाना अनिवार्य होगा।

<u>टिप्पणी –</u> नियुक्ति से पूर्व शासन नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

1-7-3 ijh{kk 'kgj %

fyf[kr ijh{kk dk vk;kstu e/;izns'k jkT; ds 8 ftyks fNanokMk] flouh] ckyk?kkV] e.Myk] tcyiqj] mefj;k] lh/kh ,oa [k.Mok ftyk eq[;ky;ksa ij fd;k tk;sxk ijUrq dafMdk 1-7¼6½ ,oa dafMdk 1-7¼7½ ds v/khu ijh{kk;sa lEiUu gksxhA क्षेत्ररक्षक के पदों पर नियुक्ति मध्यप्रदेश राज्य के 8 जिलो छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मण्डला, जबलपुर, उमरिया, सीधी एवं खण्डवा जिलों हेतु की जायेगी।

1-7-4 esfjV lwph %

पी.ई.बी. द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में निर्धारित आवश्यक प्राप्तांक के अनुसार परिणाम की जिलेवार, श्रेणीवार/प्रवर्गवार सूची निगम को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके आधार पर निगम द्वारा वन विभाग के साथ शारीरिक अर्हता एवं पैदल चाल के परीक्षण की कार्यवाही की जायेगी। निगम द्वारा शारीरिक परीक्षण एवं पैदल चाल में सफल अभ्यर्थियों की सूची पी.ई.बी. को उपलब्ध कराई जायेगी। इसके उपरांत निगम के निर्देशानुसार पी.ई.बी. द्वारा लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के अनुसार प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी तथा प्रदर्शित की जावेगी।

1-7-5 ikjLifjd ojh;rk %

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर शारीरिक अर्हता एवं पैदल चाल में सफल अभ्यर्थी की वरीयता सूची तैयार की जायेगी। समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर जन्मतिथि के आधार पर आपसी सहवरिष्ठता निर्धारित की जावेगी, अर्थात् जिसकी जन्मतिथि पहले होगी उसे पहले रखा जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि अंतिम CUT- OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

1-7-6 nLrkost k@iek.k&i=k dk lR;kiu %

लिखित परीक्षा उपरांत निगम द्वारा वन विभाग के साथ लिए जाने वाले शारीरिक क्षमता परीक्षण के समय समस्त दस्तावेजों / प्रमाण–पत्रों आदि का परीक्षण निगम द्वारा किया जायेगा।

शारीरिक क्षमता परीक्षण d le; vH;fFk;k dk fuEufyf[kr vfHkys[kk dh ey ifr;k ,o vfHkiekf.kr vfrfjDr ifr;k iLrr djuh gkxh] ftl dk ijh{k.k fd;k tk;xk %&

(i) आयु के प्रमाण हेतु (बोर्ड द्वारा जारी हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण–पत्र, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो)

(ii) शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र (शिक्षा मण्डल / विश्वविद्यालय से जारी हाईस्कूल / स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण–पत्र)

(iii) अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. प्रमाण–पत्र (अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी)

(iv) जीवित बच्चों के जन्मतिथि प्रमाणित करने हेतु अभिलेख (जन्म प्रमाण–पत्र / शाला की अंकसूची / मतदाता पहचान पत्र / राशन कार्ड)

(v) भूतपूर्व सैनिक होने पर संचालक, सैनिक कल्याण द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(vi) अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(vii) ''विक्रम पुरस्कार'' प्राप्त होने पर मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(viii) मध्यप्रदेश राज्य निगम / मण्डल का कर्मचारी होने पर संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(ix) स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सेवा (होमगार्ड) के नॉन कमीशंड अधिकारी होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(x) स्थायी मूल निवासी प्रमाण–पत्र %rglhynkj@uk;c rglhynkj Lrj ls uhps dk u gks%।

(xi) होमगार्ड स्वयं सेवी नगर सैनिक अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र ।
(lyXu ik#i&3)

1-7-7 लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण / शारीरिक माप एवं पैदल चाल में सफल उम्मीदवारों को केवल इसी आधार पर नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। शैक्षणिक योग्यता / जन्म प्रमाण–पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण–पत्रों की विधिवत् जॉच / परीक्षण के उपरांत जिले में तत्समय उपलब्ध प्रवर्ग विशेष के पदों के विरूद्ध नियमानुसार संबंधित संभागीय प्रबंधक द्वारा नियुक्ति दी जा सकेगी। प्रमाण–पत्र का सत्यापन जारी करने वाली संस्था से कराया जावेगा, उस पर होने वाला व्यय अभ्यर्थियों द्वारा वहन किया जायेगा। दस्तावेज / प्रमाण पत्र कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जायेगी।

1-8 ;k=k 0;; dk Hkxrku %

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रं. एफ–4–4/2013/नियम/चार, दिनांक 13.09.2013 अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा देने का उल्लेख है। तदानुसार अभ्यर्थियों को निगम द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।

1-9 fu;qfDr dh 'krsZ %

सेवा में भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा। नियुक्त व्यक्ति को प्रदेश के प्रशिक्षण 'kkykvksa esa प्रशिक्षण gsrq Hkstk tk;sxkA

1-10 U;k; {ks=kf/kdkj %

fdlh Hkh fookn dh fLFkfr esa U;k; {ks= e/;izns'k jkT; dh lhek rd gksxkA

ifjf'k"V&1

{k=j{kdksa dh Hkrh gsrq fjDr inksa dh ftykokj] Js.khokj o lokxZokj {kSfrt vkj{k.k rkfydk

क्र.	जिले का नाम	अनारक्षित			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग			योग	पद कोड
		निल	भूतपूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक	निल	भूतपूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक	निल	भूतपूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक	निल	भूतपूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक		
		ओपन	ओपन	ओपन	ओपन	ओपन	ओपन	ओपन	ओपन	ओपन	ओपन	ओपन	ओपन		
1	बालाघाट	5	1	4	2	1	0	0	0	0	1	0	1	**15**	**060**
2	छिंदवाडा	3	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	**7**	**061**
3	जबलपुर	5	1	3	2	0	1	0	0	0	1	1	1	**15**	**062**
4	मण्डला	5	1	3	2	0	1	0	0	0	2	0	1	**15**	**063**
5	खण्डवा	3	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	**7**	**064**
6	सीधी	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**	**065**
7	सिवनी	5	1	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1	**15**	**066**
8	उमरिया	6	1	3	2	1	0	0	0	0	2	0	0	**15**	**067**
	;ksx	**34**	**6**	**17**	**15**	**2**	**6**	**0**	**0**	**0**	**8**	**1**	**4**	**93**	

vij izcU/k lapkyd ¼iz'kklu½

v/;k;&2

ikQ'kuy ,Xtkfeu'ku ckMZ] Hkkiky ijh{kk lpkyu d fu;e ,o funZ'k

[k.M&v

2-1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। vH;FkhZ 'kS{kf.kd vgZrkvksa dk HkyhHkkafr v/;;u mijkUr gh vkosnu i= Hkjs A

(ii) vkosnd dks fofHkUu inks gsrq ,d gh vkosnu i= iLrqr djuk vfuok;Z gSA inks dh l[;k e vko';drkuqlkj deh ;k of) dh tk ldrh gSA

(iii) अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिंहित कर सकेगा। आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

2-2 (i) <u>vkosnd ds ikl U;wure 'kS{kf.kd vgZrk;s vkosnu i= Hkjus dh frfFk dks vfuok;Z :i ls i.kZ gksuh pkfg;s A</u>

(ii) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

(iv) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

(v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

(vi) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2-3 ijh{kk gky e ys tkus gsrq vko';d lkexzh %&

(i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश–पत्र।

(ii) काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु ।)

(ii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र – मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ, तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। bl vk/kkj ekU; ugh gSA

2-4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone,Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

2-5 ukxfjdrk ,oa LFkkbZ fuokl h ds lac/k e %&

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को

(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये ।

(ख) नेपाल की प्रजा होना चाहीये ।

2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण–पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

(II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा ।

2-6 e/;izns'k ds LFkkbZ fuoklh vkosndksa ds fy;s vk;q lhek %&
foHkkxh; fu;eksa ds vuqlkj

2-6 e/;izns'k ds LFkkbZ fuoklh vkosndksa dks ikfJrksa ds in ij Lo;a dh tkus okyh NwV %&
foHkkxh; fu;eksa ds vuqlkj

2-8 e/;izns'k ds LFkkbZ fuoklh vkosndksa dh vk;q lhek ds lEca/k esa vU; fooj.k %&
foHkkxh; fu;eksa ds vuqlkj

2-9 fyf[kr ijh{kk esa fu%'kDrtu vH;fFkZ;ksa ds fy, miyC/k lqfo/kk,¡ %&

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–8–2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगीः–

(i) ;g lqfo/kk fuEufyf[kr vH;fFkZ;ksa dks iznku dh tkosxh %&

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. लेखन लिपिक (सहायक) या अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान की जावेगी ।

(ii) ys[ku fyfid ¼lgk;d½ dh lqfo/kk %&

1. परीक्षा में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा दिनांक से 10 दिन पूर्व प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल को लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ–पत्र सहित प्रस्तुत किया जाकर लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
2. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता/प्रश्न–पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए।
3. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

(iii) vfrfjDr le; gsrq 'krsZ %&

1. यदि अभ्यर्थी अतिरिक्त समय चाहता है तो परीक्षा दिनांक से 10 दिन पूर्व प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल को लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ–पत्र सहित प्रस्तुत किया जाकर लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
2. यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :–

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

ukV &fcUnq Ø- 2-9 dh dfMdk & (i) esa mYysf[kr fu;e dks iw.kZ djus okys vH;FkhZ ;fnys[ku fyfid ¼lgk;d½ ;k vfrfjDr le; pkgrs gksa rks gh ih-bZ-ch- dk;kZy; dks mijksDr le;kof/k esa vkosnu dj ldrs gSaA

2-10 iwoZ'kh&i= izkIr djus dh izfØ;k %&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश–पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

ukV& izos'k i= tkjh gksus ds mijkar fdlh rjg dk =qfV lq/kkj ugha fd;k tk;sxk ,oa fdlh Hkh izdkj dh =qfV nf"Vxkspj gksus ij ih-bZ-ch- vkWuykbZu vkosnu &i= dks jnn@fujLr@ ifjofrZr djus dk vf/kdkj lqjf{kr j[krk gSA

2-11 ijh{kk izos'k&i= **(Test Admit Card) :-**

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन–पत्रों के प्रवेश–पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, ck;sa gkFk ds vaxwBs dk fu'kku तथा हस्तलिपि (काले बाल पांईट पेन से) अंकित करना होगी।

(iv) प्रवेश–पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.12 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2-13 v- =qfViw.kZ iz'u] mldk fujLrhdj.k ,oa cnys esa fn;k x;k vad %&

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियॉ आहूत की जाती है तद्नुसार विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

(i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।

(ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।

(iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

(iv) कोई भी विकल्प सही न हो।

(v) यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।

(vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

(vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।

(viii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

<u>mnkgj.k 01</u> :– यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

<u>mnkgj.k 02</u> :– यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

<u>mnkgj.k 03</u> :– यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

ukV %& lHkh x.kuk dk n'keyo dk nks vadks rd dh tk;xh A

(आदेश क्र. पी.ई.बी./5–प–1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

2.13 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजशन पद्धति :–

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प–1/11/22–2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाऐं, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा । जिसका सूत्र निम्नानुसार हैः–

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session $\widehat{M}_{ij}$ is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_t^g - M_q^g}{\bar{M}_{ti} - M_{iq}}(M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

M_{ij} **is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}**

$\bar{M}_t^g$ **is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions**

M_q^g **is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions**

$\bar{M}_{ti}$ **is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session**

M_{iq} **is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session**

(नार्मोलाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिये पी.ई.बी. की वेबसाईट देखे)

2.14 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :–

(i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर पी.ई.बी. कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

(ii) बिन्दु क्रमांक 2.13 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न–पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ–साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम ''की'' (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।

(iii) अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.15 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है :–

(अ) अनुचित साधन (Unfair means)/यू.एफ.एम. (UFM) के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा/Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घंडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा ।
2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना ।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा ।
4. नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुॅचाना।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना ।
9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता प्रकट होती है
10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

यू.एफ.एम. प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र–3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे । उपरोक्त में से किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्तता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी ।

(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/ परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के

अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी के विरूद्ध यूएफएम प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी । ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति के विरूद्ध वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी ।

2. विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय परीक्षा, दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा ।

पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है ।

2-16 ijh{kk ifj.kke dk izdk'ku %&

(i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ–साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

(ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

(iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पी.ई.बी. की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाऐंगी ।

(v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाऐं भी पी.ई.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाऐंगी ।

2-17 ijh{kk ifj.kke %&

(i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2-18 izksQs'kuy ,Xtkfeus'ku cksMZ Hkksiky dk dk;Z fyf[kr ijh{kkvksa dk lapkyu ,oa mldk ifj.kke ?kksf"kr djuk ek= gksxk %&

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।

(ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में पी.ई.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा ।

(iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11–38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

2-19 U;kf;d {ks=kf/kdkj %& परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

[k.M&c

2-20 vkuykbu vkosnu&i= ds lkFk layXu fd;s tkus okys nLrkost dk fooj.k %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।

(ii) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र ik:i&03 अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी/दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

2-21 vkuykbu vkosnu i= ds lkFk QksVks ,oa gLrk{kj layXu djus lac/kh funsZ'k %&

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र ik:i&03 अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

(v) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(vi) फोटोग्राफ vkosnu Hkjus dh frfFk से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा QksVksxzkQ ij f[kapokus dh fnukad o vkosnd ds uke dk Li"V mYys[k gksuk pkfg;sA यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी ।

(vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(x) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

2-22 ,e-ih- vkuykbu fd;kLd ds ek/;e ls vkosnu QkeZ Hkjus dh fof/k %&

(i) एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा।

(ii) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन–पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।

(iii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

(iv) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही–सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

(v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन–पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2-23 vkWuykbZu vkosnu Hkjus ds lac/k esa funsZ'k %

(i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) vkosnd dk vkosnu i= esa 'kjhj ds LFkk;h fpUg rFkk ijh{kk ds le; iLrqr fd;s tkus okys QksVks igpku i= dk fooj.k rFkk Øekad vfuok;Z :i ls vafdr fd;k tkuk gksxkA blds vHkko esa vkosnu i= Lohdkj ugha gksxkA

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

(v) vkWuykbZu vkosnu i= esa vkosnd dk viuk vk/kkj dkMZ Øekad vfuok;Zr% vafdr fd;s tkus dk izko/kku j[kk gS A blds mi;ksx ls

1. आवेदन पत्र में आधार नम्बर की प्रविष्टि करना ।

2. उपरोक्त आधार नम्बर द्वारा M.P.S.R.D.H (मध्यप्रदेश स्टेट रेजिडेंट डेटा हब) की e-KYC सुविधा का लाभ लेते हुए आवेदन पत्र में उचित प्रविष्टी करना इस हेतु एम.पी. ऑनलाईन अथवा एप्लीकेशन फार्म फेस्टीलेशन एजेंसी द्वारा M.P.S.R.D.H. तथा स्वयं के मध्य एक वेब सर्विस एप्लीकेशन तैयार की जाकर एप्लीकेशन पोर्टल में अनुप्रयुक्त किया जाना है। इस हेतु आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. भेजा जायेगा जिससे e-KYC सत्यापन हो सके ।

3. जिन अभ्यर्थियों का आधार नामांकन में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर परिवर्तित होगा उन अभ्यर्थियों को मात्र आधार नम्बर प्रविष्ट करना पार्याप्त होगा, किन्तु वे e-KYC का लाभ नहीं ले सकेंगे और ऐसी स्थिति में उन्हें आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियां करनी पड़ेंगी ।

4. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का आधार इनेबिल्ड बायोमैट्रिक सत्यापन किया जाना है अब तक यह सत्यापन आधार (Aadhar) से लिंक नहीं था । इस हेतु पी.ई.बी. तथा M.P.S.R.D.H. के मध्यक एक एम ओ.यू. संपादित किया गया है जिसके द्वारा अभ्यर्थी का आधार इनेबिल्ड सत्यापन रजिस्टेशन डेस्क पर स्वतः हो सकेगा ।

5. जिन अभ्यर्थियों के पास आधार नम्बर नहीं है उनका Biometric Data/Thumb impression रजिस्ट्रेशन डेस्क पर पृथक से Capture किया जायेगा तथा इस डाटा को पी.ई.बी. के सर्वर में नियमानुसार सुरखित रखा जायेगा ।

6. यदि किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन डेस्क पर Biometric सत्यापन पर कोई त्रुटि आ रही है तो अभ्यर्थी का पर्याप्त परीक्षण किया जाकर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी ।

7. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा । विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा ।

(vi) पहचान पत्र के मीनू मे पी.ई.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया ।

2-24 vkuykbu vkosnu&i= Hkjus dh 0;oLFkk %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र एम.पी.आनलाईन की oclkbV www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है।

(iii) सीधी भर्ती–बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नही होगा।

(iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन–पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन–पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश–पत्र प्राप्त किया जा सके।

2-25 vkuykbu vkosnu&i= Hkjus grq nks fodYi gS %&

¼v½ bVjusV dSQs }kjk ¼D;kLd½

¼c½ Lo;a ds dEI;wVj }kjk

(i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

Application क्लिक कर

Vyapam लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी funsZ'k@**Instructions** तथा परीक्षा fu;e@**Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

(ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही–सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन–पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन–पत्र को Submit करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन–पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन–पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :–

¼v½ ØfMV@MfcV dkM
¼c½ bVjuV cfdx

2-26 ØfMV@MfcV dkM d ek/;e l ijh{kk 'kYd dk Hkxrku%&

(i) आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-27 bVjuV cfdx d ek/;e l ijh{kk 'kYd dk Hkxrku %&

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-28 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन–पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन–पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2-29 fu/kkfjr frfFk e tek fd, x, vkuykbu vkonu i= e l'kks/ku dh 0;oLFkk

(i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगीः–

(ii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम. पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

(iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन–पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

(iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

(v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

(vi) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

(vii) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्मतिथिमें किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।

(viii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(ix) ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन–पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(x) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2-30 ,d ls vf/kd vkWuykbZu vkosnu&i= Hkjus lEca/kh funsZ'k %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन–पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा ''हॉ'' विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन–पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन–पत्र ही मान्य होगा।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प ''हॉ'' का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई–मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन–पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

(iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन–पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

(iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2-31 vkWuykbZu vkosnu&i= dk fujLrhdj.k %&

(i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा ।

(ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2-32 ऑनलाईन आवेदन–पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2-33 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2-34 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3–17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे ।

2-35 cxk] lgkfj;k ,oa Hkkfj;k tutkfr;ksa ds vH;fFkZ;ksa ds fy, vkosnu çfØ;k ¼in miyC/k gksus dh n'kk esa½ %&

(i) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्रमांक 796/982/2012/आप्र/एक दिनांक 26. 06.2012 के पालन स्वरूप मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु <u>fu/kkZfjr U;wure 'kS{kf.kd vgZrk</u> को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरूद्ध अपने आवेदन पत्र, आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु lacaf/kr foHkkx को प्रेषित करेगें। आवेदक द्वारा **<u>बोर्ड को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य</u>** माना जायेगा।

(ii) संबधित विभाग द्वारा परीक्षा की तिथि के पूर्व बैगा, सहारिया एवं भारिया अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इस कारण से विभाग के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो संशोधित पदों की आरक्षण तालिका बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।

(iii) बोर्ड द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया जायेगा जो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी ।

(iv) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरूद्ध बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को इस संवर्ग के शेष पदों हेतु परीक्षा में बैठने का विकल्प विद्यमान रहेगा।

(v) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति यदि बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों से ही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प विद्यमान रहेगा।

(vi) तदुपरांत बोर्ड द्वारा अन्य श्रेणियों के पदों तथा अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा ।

2-36 iqu%x.kuk@iquewY;kadu

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात iqu%x.kuk@iquewY;kadu का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2-37 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

[k.M&l

2-38 vkonu i= Hkjus dh le;kof/k

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
		15			20

2-39 vkuykbu ijh{kk dk fooj.k

स.क्रं.	पाली	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	प्रथम	से	शनिवार	02 घंटे	प्रातः 09:00 से 11:00 तक	100
2	द्वितीय				प्रातः 03:00 से 05:00 तक	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से काला/क्लिक करना होगा।

2-40 (i) ijh{kk 'kqYd %&

स. क.	प्रश्न पत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	*सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये*
01-	,d	500/—	250/— ifr iz'u i=	प्रति प्रश्न पत्र 250/—	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 70/— कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 40/—	fujad

(ii) la'kks/ku fd;s tkus ij nsz; 'kqYd

स.क.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01-	,d	20/—	50/—

2-41 ijh{kk 'kgj %&

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी । मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धति से आयोजित है अतः परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रो की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है ।

vkuykbu ijh{kk dsUnz		
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर
4. ग्वालियर	5. सागर	6. उज्जैन
7. सतना	8. रतलाम	9. कटनी
10. मुरैना	11. खण्डवा	12. गुना
13. सीधी	14. नीमच	15. मन्दसौर
16. दमोह	17. छिन्दवाड़ा	

[k.M&n

vkuykbu ijh{kk i.kkyh d lcaf/k e funs'k

2-42

(i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1:30 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।

(ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।

(iv) पी.ई.बी की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।

(v) पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।

(vii) पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।

(viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षाा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

(x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधान मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा ।

(xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित /संशोधित किया जा सकता है ।

(xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का ायोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।

(xiii) ई–आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट मूल आई डी के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा । अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी ।

(xii) परीक्षा में निर्धारित रिपोटिंग समय के 30 मिनिट पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

v/;k; & 04

ou j{kd] {k=j{kd] tsy igjh ,oa vU; inksa ds fy;s ikB~;Øe

ç'ui= dk fooj.k

fyf[kr ijh{kk dk ikB~;Øe dqy vad 100

Hkkx & 1	lkekU; Kku	100 vad
Hkkx & 2	lkekU; fgUnh	
Hkkx & 3	lkekU; vaxzsth	
Hkkx & 4	lkekU; xf.kr	
Hkkx & 5	lkekU; foKku	

ukWV%& ek/;fed f'k{kk e.My] e/;insz'k dh 10$2 iz.kkyh ds varxZr gkbZLdwy ijh{kk ¼d{kk nloha½ Lrj dk ikB~;Øe gksxkA

ik: i&1

i'u&ifLrdk d i'uk d lc/k e vH;konu

(देखें नियम 2.12 एवं 2.13)

¼ukV& ;g ii= doy ijh{kkFkh }kjk gh Hkjdj fu/kkfjr le;kof/k rd

e.My dk;ky; e miyC/k djku ij fopkj {k= e fy;k tk,xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न–पत्र में निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :–

l0Ø0	i'u Øekd	=fV dk fooj.k	lk{; d :i e iLrr nLrkot dk fooj.k	lyXud Øekd

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

स्थान .... आवेदक के हस्ताक्षर..............................

दिनांक............................ आवेदक का नाम.......................................

ik : i&2

vkn’k mRrjk ij vkifRr gr vH;konu

(देखें नियम 2.12 एवं 2.13)

¼ukV& ;g ii= doy ijh{kkFkh }kjk gh Hkjdj fu/kkfjr le;kof/k rd e.My dk;ky; e miyC/k djku ij fopkj {k= e fy;k tk,xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक .... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :–

l-Ø-	mRrj Øekd	vkn'k dqth e inf’kr mRrj	vH;Fkh d vuqlkj mRrj	mRrj d leFku e iLrqr nLrkot dk fooj.k	lyXud Øekd

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

स्थान .... आवेदक के हस्ताक्षर............................

दिनांक.......................... आवेदक का नाम....................................

Professional Examination Board

प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4" x 5" सेमी फोटो यहाँ चिपकाये

4" x 5" cm photo paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction(हस्ताक्षर / Signature)

- अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स–2 के अंदर करें, अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- Do your full signature within box-2, signature in capital letter or more than one singnature should be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिएतथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photographandit should not old more than 3 months from application date

स्व–घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वाराआवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर परझूठीया पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसारसंतोषजनकनहींपाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारीरद्दकी जा सकती हैं।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my candidature is liable to be cancelled.

स्व–घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा कोबॉक्स–3 के अंदरअपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writingin box-3, the declaration given above)

Box-3

ik:i&4

gkexkM Lo;a loh uxj lfud vH;kfFk;ks }kjk iLrqr fd;s tkus okys iek.k i= dk ik:i

(म.प्र.शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ–2(अ)88/2012/ बी–4/दो दिनांक 13 अप्रैल 2016 से जारी होमगार्डस् नियम 2016 अनुसार)

ukekadu iek.k i=
¼fu;e 14 ¼d½½

1. आवेदक का नाम :– ....
2. पिता/पति का नाम :– ....
3. श्रेणी :– ....
4. निवास स्थान का पता :– ....

....

....

को मध्यप्रदेश होमगार्ड अधिनियम, 1947 (1947 का 15वां) की धारा 6 की उपधारा (3) के अंतर्गत होमगार्ड का अधिकारी/सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है। विधि अनुसार कर्तव्य पर होने के दौरान, उसे पुलिस बल का सदस्य माना जायेगा और उसे वहीं शक्तियां, संरक्षण तथा विशेषाधिकार होंगे और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन नियुक्त किए गये किसी पुलिस अधिकारी के दायित्वों के अधीन होगा।

नामांकन की तारीख..

वैद्यताः दिनांक .... से दिनांक..............................तक

स्थान......................................

तारीख....................................

नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी

....

ik:i&5

Hkqxrku ikIr djus ds fy;s Lo;a ds cSad [kkrs dk fooj.k

1.	परीक्षा का नाम	:	....
2.	परीक्षा की तिथि/पॉली/समय	:	....
3.	परीक्षा केन्द्र का नाम	:	....
4.	परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) (जैसा बैंक खाते में है)	:	....
5.	परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी में)	:	....
6.	परीक्षार्थी का रोल न.	:	....
7.	बैंक का नाम	:	....
8.	बैंक शाखा का नाम	:	....
9.	बैंक का IFS Code	:	....
10.	बैंक खाता क्रमांक	:	....
11.	परीक्षार्थी का गृह जिला	:	....
12.	गृह जिले से परीक्षा केन्द्र की दूरी	:	....
13.	यात्रा का प्रकार	:	....
14.	यात्रा व्यय की राशि	:	....

दिनांक......................................

हस्ताक्षर

निवास का पूर्ण पता

....

....

....

ik:i&6

e/;izns'k ds vkfne tutkfr lenk; tSl&cSxk] lgkfj;k ,oa Hkkfj;k tutkfr ds vH;fFkZ;ksa gsrq vkosnu i= dk ik:i

ijh{kk dk uke%& e/;izns'k 'kklu] tsy foHkkx ds varxZr 'kkjhfjd izf'k{k.k vuqns'kd] flykbZ vuqns'kd] cqukbZ vuqns'kd] iq:"k ulZ] c<bZfxjh vuqns'kd]Qkjeu isl] f'k{kd@lgk;d f'k{kd] QkekZflLV xzM&2 ¼dEikm.Mj½] vUos"kd] Ik;ZoS{kd] iz/kku eq[; ou laj{kd ds vUrxZr ou j{kd¼dk;Zikfyd½ ,oa jkT; ou fodkl fuxe fyfeVsM Hkksiky ds varxZr {ks=j{kd ds lh/kh HkrhZ ,oa lh/kh HkrhZ&cSdykWx ds fjDr inksa ij HkrhZ gsrq lEiUu p;u ijh{kk&2017

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटाग्राफ संलग्न करे

1. आवेदक का नाम :– ....
2. पिता का नाम :– ....
3. माता का नाम :– ....
4. लिंग (पुरूष/महिला) :–..
5. जन्मतिथि :– ....
6. आदिम जनजाति का नाम :– ....
7. वर्ग (विकलांग/भूतपूर्व सैनिक) :– ....
8. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :– ....
9. कार्यअनुभव का विवरण :– ....
10. विशेष/अन्य विवरण :– ....
11. आवेदन प्रस्तुत करने वाले विभाग का नामः– ....
11. पदों के लिये विभागों के चयन का विकल्प (नियम पुस्तिका के अध्याय–01 (अ),(ब) अनुसार) : –

l-Ø-	foHkkx dk uke	inuke
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर :–..

दिनांक :– ....

निवास का पता :– ....

....

मोबाईल/दूरभाष नं. :– ....

lgefr izek.k&i=

अ) e/;izns'k 'kklu] ty foHkkx ds vUrxZr 'kkjhfjd izf'k{k.k vuqns'kd] flykbZ vuqns'kd] cqukbZ vuqns'kd] iq:"k ulZ] c<bZfxjh vuqns'kd] फोरमेन iEi] f'k{kd@lgk;d f'k{kd] QkekZflLV xzsM&2 ¼dEikm.Mj½] vUos"kd] Ik;Zos{kd izgjh] iz/kku eq[; ou laj{kd ds vUrxZr ou j{kdksa ,oa ds lh/kh HkrhZ ,oa राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल के अंतर्गत क्षेत्ररक्षक lh/kh HkrhZ&cSdykWx ds fjDr inksa ij HkrhZ gsrq la;qDr p;u ijh{kk&2017 के अंतर्गत रिक्त पदो की भर्ती परीक्षा के आयोजन के लिए नियम पुस्तिका तैयार की गई है। नियम पुस्तिका में उल्लेखित समस्त नियमों एवं अध्यायों में उल्लेखित जानकारियों शैक्षणिक योग्यता को ही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्य करते हुए विभाग के द्वारा सहमति प्रदान की जाती है।

(ब) विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 147/904/2014/आ.प्र./एक/ भोपाल, दिनांक 13/02/2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक हेतु नियमानुसार आरक्षण प्रदाय किया गया है।

(स) मण्डल के आदेश क्रमांक/127/व्यापम/प–1/482/2009 भोपाल, दिनांक 29 जनवरी, 2010 के अनुसार सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु मण्डल द्वारा निर्धारित की गई शुल्क को विभाग द्वारा दिये जाने के संबंध में सहमति प्रदान की जाती है।

नियम पुस्तिका में दी गई किसी भी जानकारी के संबंध में किसी भी विवाद आदि के लिए विभाग स्वंय जवाबदेह होगा। तैयार नियम पुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नही है तथा परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

तद्नुसार यह सहमति प्रमाण पत्र सत्यापित/हस्ताक्षरित कर प्रदान किया जाता है।

l- Ø-	foHkkx dk uke	ukMy vf/kdkjh@lR;kiudrkZ vf/kdkjh dk uke ,oa nwjHkk"k Øekad	ukMy vf/kdkjh@lR;kiudrkZ vf/kdkjh dk gLrk{kj ,oa lhy	dk;Zikfyd@ vdk;Zikfyd in dh fLFkfr
1.	e/;izns'k 'kklu] ty foHkkx Hkksiky ¼e-ç-½			
2.	iz/kku eq[; ou laj{kd			
3.	राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल			